ISSN: 2249-2577

वर्ष 10 अंक 2
जुलाई-दिसंबर, 2018

विशेषांक :
पर्यावरण विकास तथा
नियामकीय संस्थाओं की भूमिका

लोक प्रशासन

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली
की अर्धवार्षिक शोध पत्रिका

संपादक
प्रो. एस. एन. मिश्र

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान

अध्यक्ष

निदेशक, आई. आई. पी. ए.,
नई दिल्ली

सम्पादक

प्रो. एस. एन. मिश्र
नोएडा

सम्पादक मंडल

प्रो. के. के. पाण्डेय
आई. आई. पी. ए., नई दिल्ली

प्रो. अमिता सिंह
जे.एन.यू., नई दिल्ली

प्रो. श्रीप्रकाश सिंह
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

डा. प्रवीण कुमार
प्राचार्य, श्यामलाल कॉलेज, दिल्ली

डा. अशोक कुमार पाण्डेय
भूतपूर्व आई.ए.एस., नई दिल्ली

पाठ-संशोधक

स्नेहलता

वार्षिक शुल्क : आजीवन सदस्य-रू. 150, व्यक्तिगत ग्राहक-रु. 200, संस्थागत ग्राहक-रू. 300
सामान्य अंक : आजीवन सदस्य-रू. 75, व्यक्तिगत ग्राहक-रु. 100, संस्थागत ग्राहक-रू. 150
विशेषांक : आजीवन सदस्य-रू. 100, व्यक्तिगत ग्राहक-रु. 200, संस्थागत ग्राहक-रू. 200

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान

इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, रिंग रोड, नई दिल्ली–110002

Ykkd i'kklu

vuØef.kdk

i"B

lEikndh; v

Yk[k

भारत में पर्यावरण विकास एवं स्वतंत्र नियामक आयोग
सुधांशु त्रिपाठी 1

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की नियामकीय भूमिका
राजेंद्र कुमार पांडेय 11

पर्यावरण एवं हमारा दायित्व
श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी 24

भारतीय संस्कृति में पर्यावरण–मीमांसा
कौशल किशोर मिश्र 36

पर्यावरण संरक्षण की वैश्विक जिम्मेवारी और भारत
गाँधीजी राय 45

पर्यावरण संरक्षणः विकास एवं प्रदूषण के बीच संघर्ष
शशि भूषण कुमार एवं श्वेताम्बु गौतम 71

पर्यावरण विकास तथा नियामकीय संस्थाओं की भूमिकाः एक अध्ययन
उमेश कुमार 90

पर्यावरण संरक्षण की चुनौतियाँ
सत्यप्रकाश मणि त्रिपाठी 103

भारत में पर्यावरणीय न्यायशास्त्र एवं आमजन (क्या स्वतंत्र नियामकीय प्राधिकरण अनिवार्य है?)
रवीन्द्र कुमार वर्मा 109

ठोस कचरा प्रबंधन एवं पर्यावरण संरक्षण : पटना के संदर्भ में
सुरेन्द्र कुमार 120

गाँधी चिंतन में सतत् विकास एवं पर्यावरण
ममता मणि त्रिपाठी 130

पर्यावरण विकास और नियामकीय संस्थाओं की भूमिका : भारतीय परिपेक्ष्य
राजबीर सिंह दलाल एवं सरबन कुमार 139

पर्यावरण विकास तथा नियामकीय संस्थाओं की भूमिका
नूर फातिमा अंसारी 157

भारत में विकास तथा पर्यावरण संरक्षण (पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की भूमिका)
हरीश दत्त 169

पर्यावरणीय समस्यायें एवं समाधान
सच्चिदानन्द मिश्र 186

पर्यावरण-संरक्षण
मदन गोपाल सिन्हा 195

पर्यावरण संरक्षण नियामक संस्था : राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एक विश्लेषण
रश्मि चौहान 210

पर्यावरण संरक्षण में भारतीय नियामकों की भूमिका : एक अध्ययन
कमलेश नारायण मिश्र एवं सुधीर कुमार शुक्ल 219

भारत में पर्यावरण संरक्षण और पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका
शीला कुमारी 226

मनुष्य-प्रकृति संबंध : भारतीय वन कानूनों के नजरिए से
विश्व दीपक त्रिपाठी 245

पर्यावरण और विकास
महेश कुमार सिंह 255

स्वच्छ गंगा अभियान और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण : दशा व दिशा
ऋतेश भारद्वाज 264

पर्यावरण प्रदूषण : नियंत्रण एवं उपाय
अम्बुजेश कुमार मिश्र 274

भारत में पर्यावरण – संरक्षण एवं नियामक संकायों की भूमिका
मीना मिश्रा 283

पर्यावरण विकास तथा नियामकीय संस्थाओं की भूमिका : ग्रन्थ सूची
मीना मिश्रा 290

y[kd

प्रो. सुधांशु त्रिपाठी – आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, उ. प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।

डॉ. राजेन्द्र कुमार पाण्डेय – सह-आचार्य, राजनीति शास्त्र विभाग, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश।

प्रो. श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी – आचार्य, राजनीति शास्त्र विभाग, दीन दयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।

डॉ. कौशल किशोर मिश्र – आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश।

प्रो. गाँधीजी राय – सेवा निवृत्त, आचार्य, राजनीति शास्त्र विभाग, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा, बिहार।

डॉ. शशि भूषण कुमार – सह-आचार्य, स्नातकोत्तर, राजनीति शास्त्र विभाग, आर. एन. महाविद्यालय, हाजीपुर, बिहार।

श्री श्वेताम्बु गौतम – शोध छात्र, राजनीति शास्त्र विभाग, जे. पी. विश्वविद्यालय, छपरा, बिहार।

डॉ. उमेश कुमार – आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, लोक प्रशासन विभाग, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा, बिहार।

डॉ. सत्यप्रकाश त्रिपाठी – अध्यक्ष, राजनीति शास्त्र विभाग, दीन दयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।

डॉ. रवीन्द्र कुमार वर्मा – सह-आचार्य, स्नातकोत्तर, राजनीति शास्त्र विभाग, आर. एन. कॉलेज, हाजीपुर (वैशाली), बिहार।

डॉ. सुरेन्द्र कुमार – अध्यक्ष, राजनीति शास्त्र विभाग, बी. एस. कॉलेज, दानापुर, पटना, बिहार।

डॉ. ममता मणि त्रिपाठी – सह-आचार्या, राजनीति शास्त्र विभाग, श्री भगवान महावीर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, फाज़िल नगर, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश।

प्रो. राजबीर सिंह दलाल – आचार्य, लोक प्रशासन विभाग, चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा, हरियाणा।

श्री सरबन कुमार – शोध छात्र, लोक प्रशासन विभाग, चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा, हरियाणा।

श्रीमति नूर फातिमा अंसारी – शोध छात्रा, लोक प्रशासन विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

श्री हरीश दत्त – शोध छात्र, लोक प्रशासन विभाग, सामाजिक विज्ञान संकाय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।

डॉ. सच्चिदानंद मिश्र – से०नि०, प्राचार्य, एस.डी.पी.जी. कॉलेज, मठ-लार, देवरिया, उत्तर प्रदेश।

डॉ. मदन गोपाल सिन्हा – सह-आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, हिन्दू पी. जी. कॉलेज, जमानियां, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश।

डॉ. रश्मि चौहान – पूर्व स्कालर, लोक प्रशासन विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान।

डॉ. कमलेश नारायण मिश्र – सहायक-आचार्य एवं अध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग, मदन मोहन मालवीय पी.जी. कॉलेज, भाटपार रानी, देवरिया, उत्तर प्रदेश।

श्री सुधीर कुमार शुक्ल – शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग, मदन मोहन मालवीय पी.जी. कॉलेज, भाटपार रानी, देवरिया, उत्तर प्रदेश।

शीला कुमारी – शोध छात्रा, राजनीति शास्त्र विभाग, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा, बिहार।

डॉ. विश्व दीपक त्रिपाठी – सहायक-आचार्य, राजनीति शास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।

श्री महेश कुमार सिंह – शोध छात्र, राजनीति शास्त्र विभाग, दीन दयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।

डॉ. ऋतेश भारद्वाज – सहायक-आचार्य, राजनीति शास्त्र विभाग, श्यामलाल कॉलेज (सांध्य), दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।

श्री अम्बुजेश कुमार मिश्रा – शोध छात्र, राजनीति शास्त्र विभाग, दीन दयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।

श्रीमति मीना मिश्रा – सहायक-पुस्तकालयाध्यक्ष, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, आई. पी. एस्टेट, रिंग रोड, नई दिल्ली।

lEikndh;

आज व्यापक स्तर पर यंत्रीकरण एवं औद्योगिकीकरण के कारण वातावरण इतना विषाक्त हो गया है कि न हम शुद्ध हवा में सांस ले सकते हैं, न स्वच्छ जल पी सकते हैं और न ही पौष्टिक पदार्थ खा सकते हैं इसीलिए हम तरह-तरह की शारीरिक व मानसिक व्याधियों के शिकार हो रहे हैं। जहरीली गैसों के रिसाव से लाखों मनुष्यों की मृत्यु हो रही है इसमें तनिक भी संदेह नहीं यदि यह क्रम बना रहा तो विकास प्रक्रिया में मानव स्वयं ही लुप्त हो जायेगा और विकास तथा विनाश एक दूसरे के पर्याय हो जायेंगे।

इन समस्याओं का हमारे दूरदर्शी संविधान निर्माताओं ने पहले ही अनुमान लगा लिया था अतः इसलिए संविधान के नीति निर्देशक तत्व की धारा 48 (A) में पर्यावरण की रक्षा हेतु विस्तृत प्रावधान किया, जिसके अंतर्गत नियामकीय संस्थाओं के सम्बन्ध में व्यवस्था की गई है।

जब हम नियामकीय संस्थाओं की बात करते हैं तो पहला प्रश्न हमारे सामने यह आता है कि नियामकीय संस्थाएं क्या हैं? यह सरकारी संरचना द्वारा निर्मित व्यवस्थाएं हैं जिन्हें विधायन, क्रियान्वयन से संबंधित न्यायिक अधिकार भी प्राप्त हैं। यदि हम कोई व्यवसाय भी शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसका खाका तैयार करते हैं उससे संबंधित नियम बनाते हैं तथा उसे लागू करते हैं ठीक उसी तरह पर्यावरण सम्बन्धी कानून समाज की स्वास्थ्य सुरक्षा आदि सम्बन्धी नियम बनाते हैं और उसे लागू करते हैं नियामकीय संस्थाएं मुख्य रूप से दो प्राथमिक कार्य करती हैं वह है (क) नियम बनाना और (ख) उस नियम को प्रभावी ढंग से लागू करना। ये संस्थाएं मूल रूप से संज्ञातय व्यवसाय के अंतर्गत आती हैं और पर्यावरण की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की रक्षा करने में अहम भूमिका निभाती हैं।

जैसा की संवैधानिक व्यवस्था है उसी सन्दर्भ में 1974 में संविधान के 42वें संशोधन के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि राज्य सरकार पर्यावरण का संरक्षण, सुरक्षा, जंगलों, तथा जंगली जानवरों की रक्षा करेगी। बाद में इन्हें मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत भी समाहित किया गया। अतः यह महसूस किया गया कि देश में नियामकीय संस्थाओं का गठन किया जाए ताकि पर्यावरण की रक्षा हो सके। ये संस्थान दोहन, प्राकृतिक स्रोतों का गलत उपयोग तथा हाशियाई समुदायों की रक्षा करें।

साथ ही यह परियोजना पर दृष्टि रखेगी इन पर लगातार निगाह रखेगी, आदि। इस सन्दर्भ में 31 मार्च 2014 को उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायाधीशों द्वारा केंद्र सरकार को यह निर्देश दिया गया कि पर्यावरण मंत्रालय, वन मंत्रालय जलवायु क्षेत्र

में निगाह रखे। 1986 अधिनियम के अनुसार नियामकीय संस्थाओं को निम्नलिखित निर्देश दिए गए:

(क) नियामकीय आयोग को अधिकार होगा कि वह औद्योगिक परियोजना की अनुमति दे।

(ख) उनका पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है? इसका मूल्यांकन करें।

(ग) यह सुनिश्चित करे की राज्य सरकार पर्यावरण सम्बन्धी अनुमति दे इत्यादि।

साथ ही केंद्रीय सरकार ने एक अंतर मंत्रालय संस्था 2014 में बनाई है जो उसकी गुणवत्ता पर विचार करे।

जैसा की पहले कहा जा चुका है नियामकीय संस्थाएं राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही निर्मित कर सकती हैं। जिसके लिए समय-समय पर कानून बनाये गए हैं। हमारे यहां पर्यावरण सम्बन्धी नियामकीय संस्थाओं की लम्बी सूची है।

विगत् वर्षों में पर्यावरणीय जागरूकता के साथ-साथ परम्परागत अवधारणा में परिवर्तन हुआ है। जिसके चलते पर्यावरण की गुणवत्ता एवं आर्थिक विकास में संघर्ष देखने को मिलता है। फिर भी दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। पर्यावरणीय जागरूकता पर विशेष ध्यान देना कोई नई बात नही हैं बल्कि यह भारतीय संस्कृति का अंग रहा है। पर्यावरण का सरंक्षण एवं टिकाऊ विकास भारतीय धार्मिक ग्रथों में भी उल्लेखित हैं। इस संदर्भ में आज पर्यावरण विशेष रूप से हमारा ध्यान आकर्षित करता है।

पयार्वरण प्रदूषण की समस्या आज संपूर्ण विश्व में एक विकराल संकट का रूप धारण कर चुकी है जिससे भारत जैसे विकासशील तथा तृतीय विश्व के लगभग सभी देश गंभीर रूप से प्रभावित और त्रस्त हैं। यद्यपि पर्यावरण क्षरण पर नियंत्रण लगाने के लिए सरकार द्वारा गठित विभिन्न नियामक संस्थाएँ अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहीं हैं। इनको अधिक शक्ति संपन्न बनाने के अलावा उनके उत्तरदायित्व को भी तय करना होगा जिससे वे अमूल्य प्राकृतिक संपदाओं के सदुपयोग को सुनिश्चित करने के साथ-ही-साथ उनके संरक्षण एवं सवंर्धन हेतु कारखानों द्वारा आधुनिक तकनीकों का भी उपयोग तथा पर्यावरण रक्षा संबंधी निर्धारित मानकों का पालन करें। इसका उत्तम विश्लेषण *सुधांशु त्रिपाठी* ने प्रथम लेख में किया है।

भारत में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में शीर्ष नियामकीय संस्था के रूप में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन 2005 में किया गया था। इस प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट विभिन्न नियामकीय पहलों को व्यावहारिक धरातल पर कितना उतारा गया और इसी मुद्दे पर प्राधिकरण की कार्यक्षमता और नियामकीय पौरूष पर प्रश्नचिन्ह लगता नज़र आता है। *राजेंद्र कुमार पाण्डेय* के आलेख में एक नियामकीय संस्था के रूप में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है।

श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी ने ''पर्यावरण एंव हमारा दायित्व'' का विशद् विश्लेषण प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार पर्यावरण के प्रति हमारा उत्तरदायित्व है क्योंकि अखिल ब्रह्माण्ड में मात्र पृथ्वी ही अकेला ग्रह है, जिस पर जैवमण्डल की सम्भावना विद्यमान है। लेकिन हमारे पर्यावरण अर्थात् जल, जंगल, जमीन व हवा आदि प्रकृति के उपादान भयावह रूप से क्षरित व प्रदूषित होते जा रहे हैं। व्यवहारतः उन दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, जिन्हें वास्तव में करना चाहिए। मसलन–जीवन शैली में बदलाव, विकास की अवधारणा में बदलाव, उपभोक्तावाद से परहेज, यंत्रों व तकनीकों का सीमित उपयोग अपनी लिप्सा पर पूर्ण नियंत्रण आदि नहीं कर पा रहे हैं, जो पर्यावरण की संजीवनी हेतु यथेष्ठ उपाय है। वर्तमान वैश्विक परिवेश में पर्यावरण और उसके प्रति हमारा दायित्व गहन चिंतन का विषय है।

प्रकृति के घटक तत्व ही पर्यावरण का निर्माण करते हैं। प्रकृति के घटक तत्व हैं– पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि। यही पाँचों तत्व प्रकृति का निर्माण करते हैं। इनमें से एक का भी रूप बिगड़ जाये तो प्रकृति का रूप बिगड़ जाता है। ब्रह्माण्ड बिगड़ेगा तो शरीर बिगड़ेगा। प्राणी मात्र का अस्तित्व व उसका विकास सबकुछ उसके पर्यावरण पर ही निर्भर करता है, इन्हीं पंच तत्वों से प्राणी मात्र का निर्माण होता है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति ने मानव सहित सभी प्राणियों के शरीर के साथ प्रकृति को जोड़ने की बात की है। लगातार यह प्रार्थना की है कि उसका संरक्षण और संवर्धन हो। इसका विवेचन *कौशल किशोर मिश्र* ने अपने लेख में श्लोकों और उनके भावार्थ के माध्यम से किया है।

पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत में भिन्न-भिन्न अधिनियम बने हैं। इन अधिनियमों का सख्ती से अनुपालन करना हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। हजारों वर्षों से जो धरती हम सबका संरक्षण और पोषण करती रही है, आज हम उसके स्वास्थ्य की चिंता करें, क्योंकि हमारा भविष्य भी धरती के भविष्य से जुड़ा है। देशांतर्गत दिनोंदिन बढ़ते प्रदूषण तथा कम होते जल देश के लिए एक बड़ी चुनौती हैं। अतः जल संचयन के लिए आज हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता आवश्यक है। इसके साथ ही, प्लास्टिक के विरूद्ध राष्ट्रव्यापी अभियान चलाकर बड़े पैमाने पर पर्यावरण को सुरक्षित बनाया जा सकता है। इसका विस्तृत विश्लेषण *गांधीजी राय* ने अपने लेख में बखूबी किया है।

पर्यावरण प्रदूषण की समस्या आज न केवल अखिल भारतीय स्तर पर देखी जा रही है बल्कि समूचा विश्व इससे आक्रांत है। तीव्र आर्थिक विकास ने पर्यावरण, अधिसंरचना (infrastructure) एवं प्राकृतिक संपदा पर अत्यधिक दबाव बना डाला है। प्रस्तुत लेख में *शशि भूषण कुमार एवं श्वेताम्बु गौतम* ने पर्यावरण संकट के विभिन्न आयामों एवं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयासों का

सम्यक विवेचन प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार विकास एवं प्रदूषण के बीच एक लम्बा संघर्ष चल रहा है।

पर्यावरण संकट एवं प्रदूषण एक विश्वस्तरीय भयंकर समस्या बन गयी है। इन पर्यावरणीय समस्याओं ने वैज्ञानिकों, राजनीतिज्ञों एवं शिक्षाविदों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और यह महसूस किया कि पर्यावरण विकास को सामान्य विकास का अंग बनाया जाये तथा नियामकीय संस्थायें इस दिशा में सकारात्मक पहल करें। यह सस्थायें पर्यावरण के विकास में अपनी भूमिका किस प्रकार निभा रहीं हैं। इस का अध्ययन *उमेश कुमार* ने अपने लेख में किया हैं।

वर्तमान समय में हमारे समक्ष पर्यावरण भयंकर चुनौती के रूप में परिलक्षित हो रहा है। यह मानवता हेतु शुभ संकेत नहीं है। इसका मूल कारण है आर्थिक विकास, विकास की लंबी दौड़ में हमने पर्यावरण का क्षरण किया है तथा इसकी सुरक्षा हेतु आवश्यक सुझावों की अनदेखी की है। कई नियामक संस्थाएँ भी अपने कर्तव्यों की प्रति सजग नहीं रहीं। इन सब पर्यावरणीय संरक्षण की चुनौतियों का विशद् विश्लेषण *सत्यप्रकाश त्रिपाठी* ने अपने शोधपत्र में प्रस्तुत किया है।

पर्यावरण संरक्षण हेतु बने संगठनों का अपने दायित्वों पर खरा नहीं उतरना तथा न्यायिक निर्णयों के आंशिक प्रभाव के कारण आमजन इस प्रक्रिया से कटे हुए हैं। भारत पर्यावरणीय न्यायशास्त्र के परीक्षण से विदित होगा चाहे यह मामला उनके पर्यावरणीय विरोधी आदतों पर नियंत्रण रखने का हो या उनकी आजीविकीय प्राथमिकता का प्रश्न हो। तमाम मुद्दों पर विवेचन के पश्चात् यह अनुशंसा की जा सकती है कि पर्यावरण संरक्षण तथा प्रदूषण नियंत्रण हेतु बनी संस्थाओं और विभिन्न पर्यावरणीय नीतियों के कार्यान्वयन की जिम्मेवारी किसी ऐसे प्राधिकरण को दी जाये जिसे स्वायत्तता प्राप्त हो इसकी अनिवार्यता के विषय में *रवीन्द्र कुमार वर्मा* ने अपने लेख में प्रकाश डाला है।

नगरीकरण एवं उपभोक्तावादी प्रवृत्ति के कारण आज ठोस कचरे की मात्रा एवं प्रकृति में आमूलचूल परिवर्तन आया है। इस कारण, ठोस कचरा प्रबंधन को एक जन-आन्दोलन का रूप देना होगा। प्रस्तुत लेख में *सुरेन्द्र कुमार* ने पटना के संदर्भ में ठोस कचरा प्रबन्धन की समस्याओं एवं चुनौतियों का विश्लेषण किया है। यह अध्ययन सम्पूर्ण बिहार के लिए नीतिगत निहितार्थ हैं। कारण, यदि पटना में नगर निकाय, जो बिहार सरकार की नाक के नीचे कार्य कर रहे हैं, ठोस कचरा प्रबंधन की रणनीति विकसित नहीं कर पा रहे हैं तो राज्य के अन्य भागों का क्या होगा, जहाँ के नगर निकाय भारी आर्थिक तंगी एवं अन्य समस्याओं से जूझ रहे हैं।

विकास तथा पर्यावरण एक दूसरे के पूरक हैं। संतुलित एवं शुद्ध पर्यावरण बिना मानव का जीवन कष्टमय हो जायेगा। हमारा अस्तित्व तथा जीवन की

गुणवत्ता स्वच्छ पर्यावरण पर निर्भर है। विकास हमारे लिए जरूरी है इसके लिए प्राकृतिक साधनों का उपयोग करना चाहिए। सतत् विकास में आर्थिक समानता, लैंगिक समानता एवं सामाजिक समानता के साथ-साथ पर्यावरण संतुलन भी निहित है इसलिए कहा जाता है कि मानव का वास्तविक कल्याण सतत विकास द्वारा ही संभव है। महात्मा गाँधी ने कहा था– ''हमारे उद्योग मानव प्रधान होने चाहिए न कि मशीन प्रधान'' सतत् विकास के संदर्भ में उनकी यह बात हमें बहुत कुछ सिखाती है। इसका विश्लेषण *ममतामणि त्रिपाठी* ने अपने लेख में किया है।

पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु अनेकों कदम उठाए गए हैं जिसमें जलवायु एवं मृद्धा संरक्षण कानूनों के साथ-साथ इन्हें लागू करवाने हेतु अनेकों नियामकीय संगठनों एवं निकायों की स्थापना भी की गई है। पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय तथा विभागों के अतिरिक्त राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरण तथा प्रादेशिक हरित न्यायाधीकरणों तथा पर्यावरण अदालतों का गठन पिछले दो दशकों में किया गया है ताकि पर्यावरण विकास को सुनिश्चित किया जा सके और इसका क्षरण करने वालों को दण्डित किया जा सके। इस प्रकार *राजबीर सिंह दलाल व सरबन कुमार* ने अपने लेख में पर्यावरण विकास और नियामकीय संस्थाओं की भारत के संदर्भ में समीक्षा की है।

नूर फातिमा अंसारी ने पर्यावरण विकास एवं पर्यावरण में प्रदूषणों के प्रकारों की व्याख्या की है कि वह किस प्रकार से अनेक रूपों में पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं जो मानव जाति के लिये घातक है। तथा इन सब को किस प्रकार भिन्न-भिन्न योजनाओं तथा नियामकीय संस्थाओं के निर्माण के द्वारा रोका जा सकता है। परन्तु यह संस्थायें वैश्विक राजनीति के द्वारा विचार-विमर्श तक ही सीमित न रह कर प्रभावशाली भूमिका निभाये। उन देशों का आत्म मंथन की जरूरत है। जो कि सम्पोषणीय विकास की प्राप्ति में बाधा पहुँचाते हैं।

एक शीर्ष निकाय के रूप में भारत में पर्यावरण संरक्षण में मंत्रालय की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। परन्तु उसकी प्रभावशीलता में कुछ कमी है क्योंकि मंत्रालय को दी गई शक्तियाँ पर्याप्त अथवा जांच प्रकृति की हैं। *हरीश दत्त* ने अपने लेख में पर्यावरण संरक्षण में मंत्रालय को पुनर्गठित करने और पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिये, इसे कैसे प्रभावी निकाय बनाने के लिये, उसे प्रभावी अधिकार देने चाहिये एवं राजनीति हस्तक्षेप को कम करना चाहिये। इस बारे में विस्तृत विवेचन किया है।

विकास तथा पर्यावरण दोनों अनिवार्य हैं। दोनों के पोषण में ही मानव कल्याणार्थ विकास की अवधारणा संरक्षित होती है। विनाश की कीमत पर विकास का कोई औचित्य नहीं। औद्योगिक संयत्रों की स्थापना हमारी आवश्यकता है। अतः ऐसी परियोजनायें और औद्योगिक संयत्र लगाते समय ऐसी तकनीक का

उपयोग किया जाना चाहिये जो प्रदूषणरोधी हो तथा पर्यावरण को हानि न पहुंचाये। इस संयत्रों में सभी प्रकार की प्रदूषणरोधी विधियाँ लगायी जाये तथा समय-समय पर उनके पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन के लिए निगरानी की जाये। इन्हीं समस्याओं एवं समाधानों का *सच्चिदानंद मिश्र* ने अपने लेख में प्रकाश डाला है।

पर्यावरण का अस्वास्थ्यकर हो जाना ही पर्यावरण-प्रदूषण है। पर्यावरण-सरंक्षण आज सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो गया है। जनसंख्या-वृद्धि एवं विलासितापूर्ण जीवन-शैली के चलते पर्यावरण अत्यधिक प्रदूषित हो चुका है। जल, वायु, ध्वनि, मृदा, समुद्र इत्यादि सभी खतरनाक स्थिति तक प्रदूषित हो चुके हैं। उष्मा-प्रदूषण, नाभिकीय-प्रदूषण, वैचारिक-प्रदूषण इत्यादि भी चरम सीमा पर है। ऐसी स्थिति में सबको चिन्तित होना चाहिए। जनसंख्या को सीमित करना और 'सादा जीवन एवं उच्च विचार' के सिद्धांत को अपनाना पर्यावरण-सरंक्षण के लिए निर्विकल्प है। इसमें नियामकीय संगठनों की भूमिका भी महत्वपूर्ण साबित होगी। यह *मदन गोपाल सिन्हा* ने अपने लेख में बतलाया है।

राष्ट्रीय हरित, प्राधिकरण (NGT) एक नियामक संस्था है। जो पर्यावरण संरक्षण के लिये स्थापित की गई थी। *रश्मि चौहान* ने इसका विश्लेषण अपने लेख में किया है कि किस प्रकार यह संस्था भी राजनीति और प्रशासन की मिली भगत से बेबस हैं इसलिये NGT के तथ्यों का क्रियान्वित होना चुनौतीपूर्ण है। इसकी वजह से पर्यावरण की अवहेलना हो रही है।

पर्यावरण की रक्षा हमारे सांस्कृतिक मूल्यों एवं परम्पराओं का ही अंग है। प्रस्तुत आलेख में *कमलेश नारायण मिश्र एवं सुधीर कुमार शुक्ल* ने भारत की पर्यावरण नियम नीति, नियामक और न्यायपालिका की सक्रियता की समीक्षा का एक प्रयास किया है। इनका यह अध्ययन वर्तमान परिस्थितियों में नीति नियामकों का पुर्न प्रस्तुतीकरण, पुनरूद्वार एवं इन संस्थाओं की सीमा, सामर्थ्य एवं स्वतंत्रता बढ़ाने की आवश्यकता महसूस करता है। इसके साथ-ही-साथ सामाजिक चेतना, युवाओं की भागेदारी, नागरिक समाज की हिस्सेदारी और संबंधित विशेषज्ञों की अधिकतम भागेदारी की आवश्यकता है।

पर्यावरण प्रदूषण ने वैश्विक स्तर पर भूमि, जल और वायु को प्रभावित कर मानवता के लिए बड़ी चुनौती उत्पन्न कर दी है। पर्यावरण संरक्षण हमारी नैतिक जिम्मेवारी हो गई है। इसलिये देश में पंचायतों को पर्यावरण संरक्षण संबंधी कार्य सौंपने से बड़ा बदलाव किया जा सकता है। स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से पर्यावरण की प्रक्रिया को तेज कर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है। यही कारण है कि भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को न सिर्फ संवैधानिक दर्जा दिया गया, वरन् अनेक अधिकार भी सौंपे गए हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं

को जो 29 कार्य सौंपे गए हैं, उनमें नौ कार्यों का सीधा संबंध पर्यावरण संरक्षण से है। इसका विवरण *शीला कुमारी* ने अपने लेख के माध्यम से बखूबी किया है।

मानव जीवन का उद्‌भव और विकास सदैव पर्यावरण पर निर्भर करता है। मनुष्य और पर्यावरण के मध्य एक अन्योन्याश्रित संबंध है, जो आदि काल से चला आ रहा है। भोजन, शिकार तथा कुछ अन्य जरूरतों के लिए मनुष्य प्रारम्भ से ही पर्यावरण पर निर्भर रहा है। यद्यपि कि 2006 के वन कानून ने जनजातियों के साथ सदियों से चले आ रहे अन्याय का खात्मा किया है तथा वनों और मनुष्य के सहजीविता और साहचर्य को महत्व प्रदान करने की चेष्टा की है, परन्तु इससे समस्या का आंशिक समाधान होता हुआ ही दिख रहा है। वास्तव में जब तक आधुनिक/उत्तर आधुनिक मनुष्य संपूर्णता में मनुष्य और प्रकृति के साहचर्य और अन्योन्याश्रय को स्वीकार करके अपने लिए उपयुक्त जीवन शैली का चुनाव नहीं कर लेता है तब तक समस्या समाप्त नहीं होगी। इसका विवेचन *विश्व दीपक त्रिपाठी* ने अपने लेख में किया है।

पर्यावरण प्रत्येक मानवीय जीवन को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष ढंग से प्रभावित कर रहा है। तीव्र आर्थिक विकास हेतु अनियंत्रित रूप से प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन, औद्योगिक क्रांति, द्रुतगामी परिवहन साधनों एवं बढ़ते मशीनीकरण ने आज सम्पूर्ण वैश्विक जगत के समक्ष 'पर्यावरण संकट' को ज्वलंत समस्या के रूप में उपस्थित किया है। हमें ऐसी विकासात्मक व्यवस्था को प्राथमिकता देनी होगी, जिसमें मानवीय आवश्यकताओं और संसाधनों के मध्य सदैव संतुलन एवं समायोजन स्थापित किया जा सके और स्वच्छ, सुन्दर व शुद्ध पर्यावरण की प्राप्ति सम्भव हो सके। इसी को *महेश कुमार सिंह* ने अपने लेख में दर्शाया है।

ऋतेश भारद्वाज का यह लेख स्वच्छ गंगा अभियान से जुड़े हुए सरकार के प्रयासों के आकलन के साथ-साथ राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्वच्छ गंगा अभियान पर निगरानी व दिशा-निर्देशों का राजनीतिक-आर्थिक अवलोकन करता है। नियामक निकाय एक सार्वजनिक प्राधिकरण होता है जो नियामकीय या पर्यवेक्षणीय क्षमता के तहत मानव गतिविधियों के कुछ क्षेत्रों पर स्वायत्त प्राधिकरण हेतु उत्तरदायी होता है। नियामक निकाय प्रशासनिक कानून-विनियमन या कानून-निर्माण के क्षेत्र में कार्य करते हैं।

प्रस्तुत शोध पत्र में *अम्बुजेश कुमार मिश्र* ने ''पर्यावरण प्रदूषण : नियंत्रण एवं उपाय'' का विशद् विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान समय में पर्यावरणीय विमर्श में बढ़ता हुआ प्रदूषण एक ज्वलंत समस्या जिसके दुष्परिणामों से समस्त जीवधारियों को विविध प्रकार के रोगों से ग्रसित होना पड़ रहा है। यहाँ यह ध्यातव्य होना चाहिए कि प्रदूषण की वृद्धि का प्रमुख कारण मानवीय अवांछनीय गतिविधियाँ हैं, जो प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का अतिशय विदोहन करते हुए वसुन्धरा को कूड़े-कचरे के ढेर का स्वरूप प्रदान कर रही हैं।

उच्च जीवन स्तर, स्वच्छ वातावरण अर्थात प्रदूषण रहित पर्यावरण में ही सभंव है। पर्यावरण संरक्षण हेतु कई उपाय किये गये हैं। भारत में अनेकों नियोजक निकायों को विवरण हुआ है। संविधान में भी संशोधन किये गये। निवारक संस्थानों की पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका है और वह इसे किस तरह निभाते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिये केवल सरकार या संस्थानों को नहीं प्रत्येक व्यक्ति को भी अपने स्तर पर योगदान देना होगा। यह *मीना मिश्रा* ने अपने लेख में बताने की कोशिश की है।

इस विशेषांक में पर्यावरण विकास एवं नियामकीय संस्थाओं की भूमिका पर सांगोपांग विचार हुआ है। पर्याप्त विश्लेषण के उपरांत सबसे महत्वपूर्ण यही प्रश्न उभरता है कि पर्यावरण विकास में नियामकीय संस्थाओं की क्या भूमिका है? तथा वे अपना कर्तव्य निभाने में कितनी सफल रहीं।

इस विशेषांक के संपादन में प्रो. महेन्द्र प्रसाद सिंह सम्पादक, आई.जे.पी.ए.के सहयोग-सद्भाव के लिये मैं अति आभारी हूँ। श्रीमती स्नेहलता की अथक सक्रियता एवं निष्पादन के लिये सधन्यवाद!

& lEiknd

भारत में पर्यावरण विकास एवं स्वतंत्र नियामक आयोग

सुधांशु त्रिपाठी

lkjk'k *आधुनिक लोककल्याणकारी राज्य-व्यवस्था के युग में लोकतंत्र के गहराते विस्तार तथा जनता की निरन्तर बढ़ती माँगों की पूर्ति में संलिप्त रहने के कारण जहाँ राज्य पर कार्यों का बोझ अत्यधिक बढ़ गया है वहीं वर्तमान बाजार संस्कृति में राज्य का स्वरूप भी बाज़ारू होता जा रहा है। जनता की बढ़ती आवश्यकताओं ने व्यापक स्तर पर औद्योगिकीकरण एवं यंत्रीकरण के लिए विवश किया है जिस कारण पर्यावरण इतना प्रदूषित हो गया है कि आज शुद्ध जल, वायु, अन्न, फल, फूल आदि का पूर्ण अभाव हो गया है। परिणामस्वरूप अनेकों शारीरिक एवं मानसिक व्याधियों ने व्यक्ति का जीवन जीना दूभर कर दिया है। अतः पर्यावरण संरक्षण से जुड़े व्यापक लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए भारत में अमेरिका एवं अन्य यूरोपीय देशों के सदृश स्वतंत्र नियामक आयोग जैसी नियामक संस्थाओं के गठन की आवश्यकता महसूस की गयी जिससे देश में पर्यावरण की सुरक्षा के साथ प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग प्रभावी ढंग से रोका जाए एवं वन्य प्राणियों की रक्षा भी की जा सके। इसी के साथ घने जंगलों में रहने वाले कबीलायी एवं अन्य हाशियाई समुदायों तथा महिलाओं की रक्षा करना भी इन नियामक संस्थाओं का कार्य निर्धारित किया गया।*

प्रस्तावना

औद्योगिक क्रांति के कारण जनसंख्या में वृद्धि एवं शहरीकरण बहुत अधिक मात्रा में हुआ जिससे पर्यावरण पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ने लगा। आगामी दशकों में जनसंख्या के विस्फोट तथा शहरीकरण की बढ़ती आवश्यकता ने विश्व में विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों की स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है जिसमें पर्यावरण प्रदूषण एक बहुत बड़ी चुनौती है। पर्यावरण से जुड़ी समस्याएं वैज्ञानिक क्रांति के उदय के फलस्वरूप तीव्र औद्योगिकीकरण तथा पूंजीवाद के आगमन से अनियोजित शहरीकरण और विकास से जुड़ी अंधाधुंध गतिविधियों का परिणाम हैं, जो लगभग दो सदी पूर्व

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की नियामकीय भूमिका

राजेंद्र कुमार पांडेय

Ikjk'k *भारत में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में शीर्ष नियामकीय संस्था के रूप में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन 2005 में किया गया था। इसके गठन के पीछे मूल सोच यह थी कि देश में आपदा प्रबंधन से सम्बंधित समग्र चिंतन और तदनुसार नियामकीय रूपरेखा का स्वरूप यह प्राधिकरण उपलब्ध कराएगा। अपने 13 वर्ष के जीवनकाल में प्राधिकरण ने निश्चित रूप से देश में आपदा प्रबंधन से सम्बंधित एक वैचारिक चेतना का संचार किया है। अपने नियामकीय उत्तरदायित्वों के निर्वहन के निमित्त इसने अनेकों मार्गदर्शक सिद्धांतों, दिशानिर्देशों तथा नीतिगत दस्तावेजों को निर्गत किया है। परन्तु मूल प्रश्न यह खड़ा होता है कि प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट विभिन्न नियामकीय पहलों को व्यावहारिक धरातल पर कितना उतारा गया और इसी मुद्दे पर प्राधिकरण की कार्यक्षमता और नियामकीय पौरुष पर प्रश्नचिन्ह लगता नज़र आता है। इस आलेख में एक नियामकीय संस्था के रूप में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है।*

प्रस्तावना

पर्यावरण और विकास की अंतर्क्रिया के विमर्श में प्राकृतिक आपदाएं एक महत्वपूर्ण प्रतिफलन के रूप में हमेशा से उपस्थित रही हैं। इनकी सार्वकालिक और सार्वदेशिक उपस्थिति भारत जैसे देशों में और अधिक मायने रखने लगती है जहाँ लाखों लोगों की जिंदगियां हर समय किसी-न-किसी प्राकृतिक आपदा के खतरे से दो-चार होती रहती हैं। अव्वल तो, भारत जैसे भौगोलिक रूप से वैविध्यपूर्ण देशों में प्राकृतिक आपदाएं व्यक्तियों के जीवन का हिस्सा होती हैं और स्वतः ही मौजूद रहती हैं। परन्तु इनकी विभीषिका का स्वरूप और बारम्बारता तब और विकराल रूप धारण कर लेती है जब विकास के नाम पर पर्यावरणीय प्रक्रियाओं और संतुलन को नष्ट करने का प्रयत्न किया जाता है। अर्थात, पर्यावरण और विकास की अवैज्ञानिक और

पर्यावरण एवं हमारा दायित्व

श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी

Ikjk'k *प्रस्तुत शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य ''पर्यावरण एंव हमारा दायित्व'' का विशद् विश्लेषण प्रस्तुत करना है। अखिल ब्रह्माण्ड में मात्र पृथ्वी ही अकेला ग्रह है, जिस पर जैवमण्डल की सम्भावना विद्यमान है। अर्थात् जिन्दगी की धड़कने सुनाई पड़ती हैं। अन्यत्र कहीं भी किसी भी ग्रह पर जीवन की किसी सम्भावना की तलाश नहीं हो पायी है। अतएव यदि मानवीय कृत्यों से पर्यावरण असंतुलित हुआ तो समस्त जैव–अजैव प्रजातियाँ काल कवलित हो जायेंगी। अतः स्वयं की सुरक्षा हेतु पृथ्वी का संरक्षण वांछनीय ही नही अपरिहार्य भी है। आज जिस जल, जंगल और जमीन के जरिये पर्यावरण की चिंता की जा रही है, उनके प्रति हमारा दायित्व काफी हद तक जमीनी हकीकत को चिन्तनीय बनाता हैं। इक्कीसवीं सदी में हम दुनिया से लोहा लेने हेतु तत्पर हैं, लेकिन हमारे पर्यावरण अर्थात् जल, जंगल, जमीन व हवा आदि प्रकृति के उपादान भयावह रूप से क्षरित व प्रदूषित होते जा रहे हैं। फिर भी हम आज पर्यावरण संरक्षण हेतु किसी ठोस उपाय के बजाय केवल बहस करने व एक-दूसरे देशों पर आक्षेप लगाने में नखशिख उलझे हुए हैं। व्यवहारतः उन दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, जिन्हें वास्तव में करना चाहिए। मसलन–जीवन शैली में बदलाव, विकास की अवधारणा में बदलाव, उपभोक्तावाद से परहेज, यंत्रों व तकनीकों का सीमित उपयोग अपनी लिप्सा पर पूर्ण नियंत्रण आदि नहीं कर पा रहे हैं, जो पर्यावरण की संजीवनी हेतु यथेष्ठ उपाय है।*

प्रस्तावना

वर्तमान वैश्विक परिवेश में पर्यावरण और उसके प्रति हमारा दायित्व गहन चिंतन का विषय है। पर्यावरण का सीधा सम्बन्ध मानव अस्तित्व से है। प्राणी-जगत का अस्तित्व न सिर्फ प्रकृति और पर्यावरण से प्रभावित होता है, अपितु प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को यदि सीमित नहीं किया गया, तो प्रकृति और मनुष्य दोनों का ही आस्तित्व खतरे में है। *एनवॉयरनमेण्ट* (Environment) अर्थात् पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द *एनवॉयरनर* (Environer) से है, जिसका आशय है परिवेश। अर्थात् चतुर्दिक विद्यमानता से है।[1] ''समाज के अन्तर्गत पर्यावरण के प्रभाव और महत्व का

भारतीय संस्कृति में पर्यावरण–मीमांसा

कौशल किशोर मिश्र

Ikjk'k% यजुर्वेद ने पर्यावरण की परिभाषा दी है ''परितः आवृणोतिति पर्यावरणम्'', इसका अर्थ है जो चारों ओर से आवृत करता है, वह पर्यावरण ही है। 'परि' और 'आ' उपसर्गपूर्वक 'वृञ् आवरणे' धातु से 'ल्युट्' प्रत्यय (भाव में) होकर बना, वह 'पर्यावरण' शब्द संस्कृत में पर्यावृत्ति और परिवेष्टन अर्थ में प्रयुक्त है। सामान्य अर्थ में पर्यावरण से तात्पर्य उस भौतिक परिवेश से है जिसमें समस्त जीव जगत् निवास करता है, अर्थात् हमारे चतुर्दिक जो कुछ भी व्याप्त है, वह सभी पर्यावरण है। स्थावर-जंगम, आदि के अलावा सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में चारों तरफ से आच्छादित करने वाला पदार्थ या तत्व समूह पर्यावरण है। सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में प्राणी मात्र का अस्तित्व पर्यावरण पर निर्भर करता है। वेद की यह परिभाषा आधुनिक पर्यावरण की परिभाषा से व्यापक है। जब हम प्राणी की बात करते हैं तो इसका अर्थ केवल मनुष्य नहीं होता। प्राणियों के संसार में मनुष्य एक भाग बस है। पर्यावरण की संरक्षा केवल मनुष्य के लिये नहीं होनी चाहिये सभी जीवों के लिये होनी चाहिये। पर्यावरण सम्पूर्ण है। वैश्विक है। पर्यावरण पर विचार करते समय प्रकृति को भी समझना आवश्यक है। प्रकृति के घटक तत्व ही पर्यावरण का निर्माण करते हैं। प्रकृति के घटक तत्व हैं– पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि। यही पाँचों तत्व प्रकृति का निर्माण करते हैं। इनमें से एक का भी रूप बिगड़ जाये तो प्रकृति का रूप बिगड़ जाता है। यह तत्व मानव शरीर का भी निर्माण करते हैं। तुलसी दास जी ने स्पष्ट कहा है– ''क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा'', अर्थात जो ब्रह्माण्ड में हैं, वही शरीर में है। ब्रह्माण्ड बिगड़ेगा तो शरीर बिगड़ेगा। ब्रह्माण्ड और शरीर का सम्बन्ध अन्यतम है। प्राणी मात्र का अस्तित्व व उसका विकास सबकुछ उसके पर्यावरण पर ही निर्भर करता है, क्योंकि पर्यावरण के घटक तत्व पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि यही प्रकृति का निर्माण करते हैं, इन्हीं पंच तत्वों से प्राणी मात्र का निर्माण होता है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति ने मानव सहित सभी प्राणियों के शरीर के साथ प्रकृति को जोड़ने की बात की है। लगातार यह प्रार्थना की है कि उसका संरक्षण और संवर्धन हो।

पर्यावरण संरक्षण की वैश्विक जिम्मेवारी और भारत

गाँधीजी राय

lkjk'k *वर्तमान सदी में वायुमंडल में कार्बन डाईआक्साइड (CO_2) की मात्रा निरंतर बढ़ने से भूमंडलीय तापन का संकट भी गहराता जा रहा है। जिस मात्रा में CO_2 का उत्सर्जन हो रहा है, उसी अनुपात से पृथ्वी के तापमान में भी बढ़ोतरी हो रही है। इससे वैज्ञानिकों ने यह संकेत दिया है कि धरती के गरमाने पर आगामी वर्षों में समुद्री जल स्तर में 200 सेमी तक की वृद्धि हो सकती है।* ***iVkxu*** *की रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि इससे जान-माल दोनों की नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि* ***vVkdfVdk*** *की पिघलती बर्फ इंसानी वजूद के लिए खतरे की घंटी है। ऐसी स्थिति में यदि हम सचेत नहीं हुए तो प्रकृति हमें दूसरा मौका नहीं देने वाली है। वैश्विक तापमान का प्रभाव* ***fodflr*** *तथा* ***fodkl'khy*** *सभी राष्ट्रों में समान रूप से पड़ता है। इस दृष्टि से पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पर एक सकारात्मक* ***lk> i;kl*** *की आवश्यकता है। इसके लिए 22 अप्रैल 1970 को आयोजित* ***iFoh fnol*** *से लेकर 22 अप्रैल 2018 तक वैश्विक स्तर पर* ***l;Dr jk"V*** *की देखरेख में अनेक सम्मेलन हुए हैं। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित 1997 की* ***D;kVk lf/k*** *वर्तमान में कार्बन उत्सर्जन पर लागू है। इसकी संपुष्टि* ***ifjl f'k[kj lEeyu*** *(2015) में की जा चुकी है। जलवायु परिर्वतन के आलोक में भारत समेत विश्व के कई इलाकों में भूजल स्तर में तेजी से गिरावट आ रही है जिससे आज* ***f'keyk*** *सहित पूरे देश में जल संकट के चलते स्थिति गंभीर हो गई है। पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत में बने विभिन्न अधिनियमों के बावजूद* ***fo'o LokLF; lxBu*** *द्वारा 2018 में जारी रिपोर्ट में विश्व के सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण से प्रभावित 15 शहरों में 14 भारत में है।* ***fo'o LokLF; lxBu*** *की रिपोर्ट से जाहिर है कि राजस्थान और काश्मीर घाटी के साथ-साथ गंगा के मैदानी इलाकों की जद में हैं, लेकिन भारत के अन्य शहरों में वैश्विक स्तर पर बढ़ा प्रदूषण पर्यावरण संरक्षण में हमारी लापरवाही जाहिर करते हैं। ऐसी भयावह स्थिति में पर्यावरण संरक्षण के लिए बने अधिनियमों का सख्ती*

अनुपालन करना हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। हजारों वर्षों से जो धरती हम सबका संरक्षण और पोषण करती रही है, आज हम उसके स्वास्थ्य की चिंता करें, क्योकि हमारा भविष्य भी धरती के भविष्य से जुड़ा है। देशांतर्गत दिनोंदिन बढ़ते प्रदूषण तथा कम होते जल देश के लिए एक बड़ी चुनौती है। जल के प्रति लापरवाही को यदि हम नहीं सुधार पाए तो मई 2018 में शिमला में जल संकट को देखते हुए आने वाले दिनों में हम प्यासे मरेंगे। अतः **ty lp;u** *के लिए आज हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता आवश्यक है। इसके साथ ही,* **lykfLVd** *के विरूद्ध राष्ट्रव्यापी अभियान चलाकर बड़े पैमाने पर पर्यावरण को सुरक्षित बनाया जा सकता है।*

भूमिका

आज प्रायः हर महानगर, नगर एवं गाँव प्रदूषण की समस्या से प्रभावित है। वर्तमान सदी में किसी भी औद्योगिक संयंत्र द्वारा प्रदूषण-नियंत्रण मापदंड नहीं अपनाने से भूमि, वायु, जल तथा ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। वायुमंडल में कार्बन डाईऑक्साइड (CO_2) की मात्रा निरंतर बढ़ने से भूमंडलीय तापन का संकट भी गहराता जा रहा है। जिस मात्रा में CO_2 का उत्सर्जन हो रहा है, उसी अनुपात से पृथ्वी के तापमान में भी बढ़ोतरी हो रही है। आशंका प्रकट की जा रही है कि इन गैसों के अंधाधुंध उत्सर्जन से वायुमंडल के 1,000 भाग में CO_2 की मात्रा सात भाग हो जाएगी, जो फिलहाल तीन भाग के करीब है। इसका दुष्परिणाम होगा कि पृथ्वी का तापमान 21वीं सदी के अंत तक साढ़े तीन डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। पर्यावरणविद्‌ों का मानना है कि इस तापवृद्धि से ग्रीनलैंड और आर्कटिक महासागर की बर्फ पिघलने की गति में तेजी आने से समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा। वैज्ञानिकों ने यह भी संकेत दिया है कि धरती के गरमाने पर 2025 तक समुद्री जलस्तर में 200 सेमी तक की वृद्धि हो जाएगी। संभव है कि बांग्लादेश और मालदीव जैसे अनेक राष्ट्रों का आस्तित्व ही मिट जाए।

पर्यावरण प्रदूषण एक वैश्विक चुनौती

पर्यावरण संरक्षण आज एक वैश्विक चुनौती है, क्योंकि **iSVkxu** की एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि इससे जान-माल दोनों की नुकसान होने की संभावना है। **,M'; ek'ky** द्वारा तैयार की गई इस रिपोर्ट में परमाणु चुनौती से वातावरण में अचानक आनेवाले परिवर्तनों से पूरे विश्व में अफरा-तफरी मच सकती है। रिपोर्ट के प्रमुख लेखकों **Mk jSMky** व **ihVj LDokVZt** के विचार में इन बदलावों पर 'तत्काल प्रभाव से' विचार करना आवश्यक है क्योंकि ऐसा न होने से विश्व के देशों के बीच संघर्ष बढ़ेगा और युद्ध का खतरा निरंतर मंडराने लगेगा।[1] रिपोर्ट में निम्नलिखित भयावह स्थितियों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है–

पर्यावरण संरक्षणः विकास एवं प्रदूषण के बीच संघर्ष

शशि भूषण कुमार एवं श्वेताम्बु गौतम

lkjk'k *पर्यावरण प्रदूषण की समस्या आज न केवल अखिल भारतीय स्तर पर देखी जा रही है बल्कि समूचा विश्व इससे आक्रांत है। तीव्र आर्थिक विकास तथा बढ़ती मानव आबादी ने आज देश के पर्यावरण, अधिसंरचना (infrastructure) एवं प्राकृतिक संपदा पर अत्यधिक दबाव बना डाला है। औद्योगिक प्रदूषण, भूक्षरण, वनों का कटाव, तीव्र औद्योगीकरण, शहरीकरण और भूमि का सिकुड़न इत्यादि कुछ ऐसे कारक हैं जो पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं। भूमि और जल जैसे प्राकृतिक संपदाओं का अत्यधिक दोहन एवं औद्योगीकरण की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप इन प्राकृतिक संपदाओं का पर्यावरणीय क्षरण शुरू हो गया। मानव सहित इस धरती पर रहने वाले सभी प्राणियों एवं वनस्पतियों के समक्ष आज पर्यावरण प्रदूषण एक विकराल समस्या के रूप में है। वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी, अम्ल वर्षा, जलवायु परिवर्तन, ओज़ोन परत में छेद, बाढ़, सूखा, चक्रवात (सूनामी), भूमिगत जल का प्रदूषित होना, वायु प्रदूषण, तटीय जल प्रदूषण इत्यादि प्राकृतिक आपदा की एक लंबी सूची है, जिसका धरती पर रहने वाले सभी जीव - जन्तु सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के संवैधानिक प्रावधानों एवं नियामक संस्थाओं के बावजूद भारत में पर्यावरण संकट गहराता जा रहा है। प्रस्तुत लेख में पर्यावरण संकट के विभिन्न आयामों एवं पर्यावरण* संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयासों का सम्यक विवेचन प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तावना

पर्यावरण दो शब्दों 'परि' और 'आवरण' से मिलकर बना है जिसका शाब्दिक अर्थ परि यानि चारों ओर और आवरण यानि घेरा है अर्थात् हमें चारों ओर से घेरनेवाला पर्यावरण है। लुई थामस ने अपनी पुस्तक *द लाइव्स ऑफ ए सेल* में धरती को एक जीवंत सेल (living cell) और उसके चारों ओर के वातावरण को उसकी रक्षा का एक आवरण बताया है। यही रक्षा-कवच पर्यावरण है जो धरती की सतह के

पर्यावरण विकास तथा नियामकीय संस्थाओं की भूमिकाः एक अध्ययन

उमेश कुमार

I kjk'k% वह सब कुछ जिससे चारों ओर से मनुष्य घिरा है पर्यावरण होता है। मनुष्य के आस-पास जो कुछ भी वर्तमान है, पृथ्वी के स्थल भाग पर, स्थल के ऊपर तथा पृथ्वी के आन्तरिक भागों में कहीं भी जो भी है वह प्रत्यक्ष या परोक्ष, सूक्ष्म या स्थूल, लाभप्रद या हानिप्रद, तत्काल या दूरगामी किसी न किसी प्रकार का प्रभाव मनुष्य के लिए उत्पन्न करता है, वह पर्यावरण ही है। पर्यावरण के अन्तर्गत दो प्रकार के उपादान होते हैंः–

अजैविक तथा जैविक उपादानों के संयोग से पर्यावरण का निर्माण होता है। पर्यावरण के अन्तर्गत, उपरोक्त उपदानों के संयोग से निर्मित मकान, वन, बगीचे, जन-जीवन आदि समस्त आते हैं। पर्यावरण की प्राकृतिक स्थिति में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की प्रक्रिया एवं स्थिति जो प्रदूषित करती है, पर्यावरण-प्रदूषण कहा जाता है। वर्तमान समय में पर्यावरण-प्रदूषण एक विश्वस्तरीय भयंकर समस्या बन गयी है। पर्यावरण संकट एवं पर्यावरण-प्रदूषण की समस्या ने विश्व के प्रत्येक कोने के जन-जीवन को कमोबेश, प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी न किसी रूप में किन्तु सुनिश्चित तौर पर प्रभावित किया है। पर्यावरण संकट के कई कारण हो सकते हैं, जैसे बढ़ती जनसंख्या, रासायनिक पदार्थों का प्रयोग, विज्ञान का बढ़ता प्रभाव, अविवेकपूर्ण संसाधन-दोहन एवं उपभोग इत्यादि। ये सभी एक खतरनाक भविष्य की सूचना दे रहे हैं, और घातक परिणामों की और संकेत कर रहे हैं। पर्यावरण से संबंधित इन समस्याओं ने वैज्ञानिकों, राजनीतिज्ञों एवं शिक्षाविदो का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और यह महसूस किया गया है कि पर्यावरण विकास को सामान्य विकास का अनिवार्य अंग बनाया जाए तथा नियामकीय संस्थायें इस दिशा में सकारात्मक पहल करें।

प्रस्तावना

आज का मानव प्रगति की ओर सम्मुख है। वह प्रतिदिन वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक क्षेत्र में उन्नति कर विकास की ओर बढ़ रहा है। जहाँ मानव विकास की ओर इतना

पर्यावरण संरक्षण की चुनौतियाँ

सत्यप्रकाश मणि त्रिपाठी

lkjk'k *प्रस्तुत शोध पत्र में ''पर्यावरण संरक्षण की चुनौतियाँ'' का विशद् विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान समय में हमारे समक्ष पर्यावरण संरक्षण भंयकर चुनौती के रूप में परिलक्षित हो रहा है। पर्यावरण संरक्षण हेतु नियामक संस्थाओं की उदासीनता की स्थिति में लोगों के पास ऐसे तंत्र की अनुपलब्धता होगी, जिन तक वे अपनी इस ज्वलंत समस्या हेतु मदद के आकांक्षी बन सकें। फलतः उनके पास ऐसा कोई विकल्प शेष नहीं रह जाता जो उन्हें इस समस्या से निजात दिला सकें। ऐसी स्थिति में उनकी हताशा और निराशा अत्यधिक तीव्रतर होगी और अपनी आवाज को तंत्र तक पहुँचाने हेतु विरोधात्मक आक्रोश के पथ पर अग्रसर होगें, जिससे हिंसात्मक विरोधों की अभिवृद्धि होगी। गत् वर्षों में जिन हिंसात्मक गतिरोधों से हम एकाकार हुए, भविष्यगत् वर्षों में उनमें अतिवृद्धि की सम्भावना की आशंका से मन उद्वेलित होगा, जिनके कमतर होने की गुंजाइश लेशमात्र भी नहीं है। यह पर्यावरण तथा देश दोनों हेतु शुभ संकेत नहीं है। पर्यावरण संरक्षण हेतु इस तरह की उदासीनता का मूल कारण हैः– आर्थिक विकास। पर्यावरणीय नियामक संस्थाएँ भी पर्यावरण से सम्बन्धित प्रश्नों पर नियत नहीं रहीं, तो इसकी वजह यह भी है कि हमने अभी तक यह स्वीकार नहीं किया है कि पर्यावरण 'आर्थिक परिवर्तन के घटक' के रूप में भी कार्य कर सकता है। हमने आज पर्यावरणीय सुरक्षा हेतु नितान्त आवश्यक सुझावों की भी अनदेखी कर दी है।*

प्रस्तावना

वर्तमान समय में पर्यावरणीय परिदृश्य चतुर्दिक मानवकृत गतिविधियों से आहत है, जिससे पर्यावरण असंतुलित हो रहा है। ऐसी स्थितियाँ यदि अग्रेतर यथावत बनी रही, तो सम्पूर्ण मानवता एवं प्रकृति का अस्तित्व संकटग्रस्त हो जायेगा। फलतः यह जानना अत्यन्त आवश्यक हो जाता है कि पर्यावरण क्या है? और इसे कैसे संरक्षित किया जाए।

पर्यावरण का आशय है मानव के चारों तरफ का प्राकृतिक आवरण या परिवेश। अर्थात् जो भी प्रकृति प्रदत्त चीजें हमें अपने चतुर्दिक आवृत्त किये हुए है, यथा–वायु,

भारत में पर्यावरणीय न्यायशास्त्र एवं आमजन

(क्या स्वतंत्र नियामकीय प्राधिकरण अनिवार्य है?)

रवीन्द्र कुमार वर्मा

lkjk'k *भारत में विगत् तीन चार दशकों से पर्यावरण संरक्षा हेतु अनेक नीतियाँ, कानून तथा संगठनों का निर्माण हुआ है। परन्तु वांछित फल नहीं प्राप्त हो सके हैं। पर्यावरण संरक्षा हेतु बने संगठनों का अपने दायित्वों पर खरा नहीं उतरना तथा न्यायिक निर्णयों के आंशिक प्रभाव के कारण आमजन इस प्रक्रिया से कटे हुए हैं। साथ ही उनके हितों की प्रस्तुति हेतु पर्याप्त अवसर नहीं दिये जाते हैं। भारत में पर्यावरणीय न्यायशास्त्र के परीक्षण से विदित होगा कि इन तमाम कानूनों और न्यायिक निर्णयों की रेडार में आमजन नहीं आ पाते चाहे यह मामला उनके पर्यावरणीय विरोधी आदतों पर नियंत्रण रखने का हो या उनकी आजीविकीय प्राथमिकता का प्रश्न हो। तमाम मुद्दों पर विवेचन के पश्चात् यह अनुशंसा की जा सकती है कि पर्यावरण संरक्षण तथा प्रदूषण नियंत्रण हेतु बनी संस्थाओं और विभिन्न पर्यावरणीय नीतियों के कार्यान्वयन की जिम्मेवारी किसी ऐसे प्राधिकरण को दी जाये जिसे स्वायत्तता प्राप्त हो और आवश्यकतानुसार मानक बना कर पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के साथ.साथ अनवरत अनुश्रवण कर सके। इसके लिए पर्यावरण संरक्षा के हेतु एक स्वतंत्र नियामकीय प्राधिकरण का गठन किया जाना चाहिए।*

प्रस्तावना

यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि भारत में पर्यावरण का दिन-प्रतिदिन ह्रास हो रहा है। यद्यपि स्वतंत्रोत्तर भारत में पर्यावरण संरक्षा हेतु कम-से-कम दो सौ कानून, अनेक संस्थाएँ यथा केन्द्रीय मंत्राालय, राज्यों में विभागों, केन्द्रीय/राज्य/केन्द्र प्रशासित राज्यों के स्तर पर पर्यावरण नियंत्रण बोर्डों तथा हरित न्यायाधीकरण (Green Tribunals) आदि का निर्माण हुआ है, साथ-ही-साथ न्यायिक आदेशों,

ठोस कचरा प्रबंधन एवं पर्यावरण संरक्षण : पटना के संदर्भ में

सुरेन्द्र कुमार

Ikjk'k *नगरीकरण एवं उपभोक्तावादी प्रवृत्ति के कारण आज ठोस कचरे की मात्रा एवं प्रकृति में आमूलचूल परिवर्तन आया है। इस कारण, ठोस कचरे का 'डिसपोज़ल' एवं प्रबन्धन एक चुनौतिपूर्ण कार्य बन गया है। सरकार, नगर निकायों तथा नीति-निर्माताओं के लिए यह एक सरदर्द बन गया है। पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। जन-स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। केवल सरकारी प्रयास ही इस समस्या से निपटने के लिए पर्याप्त नही है। आम जनता, NGOs, स्थानीय निकाय, प्रशासन एवं सरकार – इन सबका सम्मिलित प्रयास आवश्यक है। ठोस कचरा प्रबंधन को एक जन-आन्दोलन का रूप देना होगा। प्रस्तुत लेख में पटना के संदर्भ में ठोस कचरा प्रबन्धन की समस्याओं एवं चुनौतियों का विश्लेषण किया गया है। यह अध्ययन सम्पूर्ण बिहार के लिए नीतिगत निहितार्थ हैं। कारण, यदि पटना में नगर निकाय, जो बिहार सरकार की नाक के नीचे कार्य कर रहे हैं, ठोस कचरा प्रबंधन की रणनीति विकसित नहीं कर पा रहे हैं तो राज्य के अन्य भागों का क्या होगा, जहाँ के नगर निकाय भारी आर्थिक तंगी एवं अन्य समस्याओं से जूझ रहे हैं।*

Hkwfedk

विगत् वर्षों में नगरीकरण एवं उपभोक्तावादी प्रवृत्ति में अत्यंत तीव्र गति से वृद्धि हुई है। विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में गति तीव्र रही है। इस कारण ठोस कचरे की मात्रा एवं प्रकृति में भी कई गुणा इजाफा हुआ है। भारत में लगभग 65 मिलियन टन कचरे का उत्पादन प्रत्येक वर्ष हो रहा है। इनमें 5.6 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा, 0.17 मिलियन टन बायोमेडिकल कचरा तथा 15 लाख टन 'ई-वेस्ट' है।[1] ठोस कचरे का 'डिसपोज़ल' एवं प्रबन्धन आज एक चुनौतीपूर्ण कार्य बन गया है। सरकार, नगर निकायों तथा नीति निर्माताओं के लिए यह एक सरदर्द बन गया है। पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। जन-स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। प्रस्तुत लेख में पटना के संदर्भ में ठोस कचरा प्रबन्धन की समस्याओं एवं चुनौतियों का विश्लेषण किया गया

गाँधी चिंतन में सतत् विकास एवं पर्यावरण

ममता मणि त्रिपाठी

Ikjk’k *प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य 'गाँधी चिंतन में सतत् विकास एवं पर्यावरण' का विशद् विश्लेषण प्रस्तुत करना है। वर्तमान समय में सभ्य सलीकेदार एवं तमीजदार होने का आचरण हम पूरी तरह भूल गये हैं। इन्हीं कम याददाश्त वालों के कारण महात्मा गाँधी ने सदैव सभ्यता को 'असाध्य रोग' की उपमा से विभूषित किया और मशीनों को ज़हर मिटाने की जहरीली दवा के सदृश माना। बड़े-बड़े ढाँचे के बजाय छोटे-छोटे ढाँचे और बड़ी-बड़ी मशीनों की बजाय, छोटे से चरखे और कुटीर ग्राम उद्योगों को बेहतर माना। अपने लिए छोटे-छोटे काम चुने, एकादश व्रत तय किये, गाँव को अपने आप में एक गणतंत्र और संयम, सादगी, स्वावलम्बन को स्वतंत्रता तथा प्रकृति .... दोनों के संरक्षण का औजार माना। आज अपव्यय और कंजूसी में पर्याप्त अन्तर परिलक्षित होता है। जूठन न छोड़ना कंजूसी नहीं, अपव्यय रोकना है। गाँवों में यह जूठन मवेशियों के काम आ जाता है या खाद गढ़्ढे में चला जाता है, जबकि शहरों में यह कचरा बढ़ाता है। हमें यह चाहिए कि जिन चीजों का हम ज्यादा इस्तेमाल करते हों, उसके प्रति अनुशासित उपयोग का संकल्प लें।[1] आज 'फिटनेस अमंग द फिट' वाले ही जीवन जीयेगें, शेष चार्ल्स डार्विन के सैद्धान्तिक राह पर चले जायेंगे। गाँधी जी का यह वक्तव्य समीचीन प्रतीत होता है कि ''पृथ्वी सभी की आवश्यकताओं हेतु पर्याप्त है, किन्तु लालच हेतु नहीं''[2]।*

प्रस्तावना

विकास एक व्यापक संकल्पना है और पर्यावरण के साथ उसका जटिल एवं परिवर्तनीय सम्बंध है। विश्व के सभी देशों में आज विकास के पथ पर एक-दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ मची है और इसके लिए औद्योगीकरण से लेकर प्राकृतिक संसाधनों के दोहन तक के हर सम्भव उपाय किये जा रहे हैं। विकास की होड़ में हम यह भूल गए कि हम इसे किस मूल्य पर हासिल करना चाहते हैं। जिस तरह

पर्यावरण विकास और नियामकीय संस्थाओं की भूमिका : भारतीय परिपेक्ष्य

राजबीर सिंह दलाल एवं सरबन कुमार

Ikjk'k% पर्यावरण और विकास दोनों एक दूसरे के प्रतिरोधी रहे हैं। यानि जैसे-जैसे विकास की रफ्तार आगे बढ़ी है उसका पर्यावरण पर प्रतिकूल असर देखने को मिला है यद्यपि अनेक पर्यावरण एवं विकास से जुड़े विचारकों का मानना है कि दोनों के मध्य यह द्वन्द्व एक सीमा तक रहता है उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। तीसरे विश्व के देशों में बढ़ती विकास की आवश्यकता और त्वजों ने पर्यावरण को पिछले छह दशकों में बुरी तरह प्रभावित किया है जिसका नतीजा यह है कि पर्यावरण संरक्षण एवं विकास की बात की जाने लगी। रियो घोषणा, क्योटो प्रोटोकोल, पेरिस समझौता, एजेंडा–21 आदि इस दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय कदम कहे जा सकते हैं। भारत में भी 1972 से ही पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु अनेकों कदम उठाए गए हैं जिसमें जलवायु एवं मृद्धा संरक्षण कानूनों के साथ-साथ इन्हें लागू करवाने हेतु अनेकों नियामकीय संगठनों एवं निकायों की स्थापना भी की गई है। पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय तथा विभागों के अतिरिक्त राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरण तथा प्रादेशिक हरित न्यायाधीकरणों तथा पर्यावरण अदालतों का गठन पिछले दो दशकों में किया गया है ताकि पर्यावरण विकास को सुनिश्चित किया जा सके और इसका क्षरण करने वालों को दण्डित किया जा सके। इस प्रकार वर्तमान लेख में पर्यावरण विकास और नियामकीय संस्थाओं की भारत के संदर्भ में समीक्षा की गई है।

भूमिका

दक्षिणी हरियाणा क्षेत्र में अब तक 95 फीसदी स्टेट वे सड़कों को हाइवे में तबदील किये जाने से करीब 50,000 से अधिक पेड़ों की बलि चढ़ चुकी है और 250 हैक्टेयर वन भूमि का सफाया किया जा चुका है। लगभग 50,000 और पेड़ों की कटाई की तैयारी चल रही है। लेकिन काटे गए पेड़ों की ऐवज में एक भी पेड़

पर्यावरण विकास तथा नियामकीय संस्थाओं की भूमिका

नूर फातिमा अंसारी

Ikjk'k% विकास से आशय है सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्र को अत्यधिक विस्तृत एवं बेहतर बनाने की, विकसित होने या करने की प्रक्रिया से है। दूसरे शब्दों में जीवन के हर पहलू को उन्नत या विकसित करने से है। परन्तु औद्योगीकरण एवं तीव्र विकास की प्रतियोगिता ने इस आशय को केवल आर्थिक पक्षों को अपने अन्दर समाहित किया। औद्योगीकरण एवं तीव्र विकास की अंधी दौड़ में पर्यावरण को हमेशा बिन सोचे-समझे बेरहमी से शोषण किया। धीरे-धीरे मानव जाति इन भयंकर परिणामों का सामना कर रही है। इसके दुष्परिणाम के रूप में बढ़ता तापमान, बढ़ता समुद्र जल स्तर, असामयिक मौसम परिवर्तन, खाद्य असुरक्षा, जलाभाव, ओज़ोन परत का क्षरण, बाढ़ तथा सूखे की समस्या, भू-स्खलन, चक्रवात की बढ़ती कठोरता, ग्लेशियरों का पिघलना इत्यादि है। सतत् विकास विश्व की प्राकृतिक संसाधनों की सीमा के भीतर रहकर संपोषणीयता पर सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिकीय प्रगति और क्षमता पर ध्यान केन्द्रित करने तथा इन तत्वों को अन्तर्सम्बन्धित करने की मांग करता है। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि से होने वाले दुष्प्रभावों में मौसम चक्र में परिवर्तन होने, जल के तापीय प्रसार और हिमखण्डों के पिघलने से समुद्र का जलस्तर बढ़ने, अतिवृष्टि के कारण बाढ़ आने, सूखा पड़ने और रेगिस्तानीकरण की प्रक्रिया तेज होने आदि को गिनाया जाता रहा है। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार इससे जलवायु में पूरी तरह बदलाव का खतरा भी पैदा हो रहा है, जो धरती के जीवों और वनस्पतियों के जीवन में भी परिवर्तन ला देगा। इस कारण बहुत सी प्रजातियों के लुप्त होने का भी अनुमान है। निष्कर्षतः अब समय आ गया है, जबकि हम आगे होने वाली क्षति को न केवल रोके, बल्कि उसमें निरन्तर कमी करते चले जाएं। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमारे यहाँ पर्यावरण सन्तुलन की व्यवस्था न के बराबर हैं। वस्तुस्थिति यह है कि उदारवादी नीतियों ने संकट को और भी गम्भीर बनाया है। पर्यावरण संरक्षण का दायित्व केवल सरकार अथवा कानून व्यवस्था पर ही नहीं है बल्कि हम सब पर भी है।

भारत में विकास तथा पर्यावरण संरक्षण

(पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की भूमिका)

हरीश दत्त

Ikjk'k% *भारत में बहुत अधिक गरीबी और विकास की जरूरतों के मद्देनज़र, पर्यावरण और उसके संरक्षण का मुद्दा वर्ष 1970 तक कहीं भी प्राथमिकता पर नहीं था, लेकिन वर्ष 1972 में हुई मानव विकास पर स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस ने भारत का रुख पर्यावरणीय मुद्दों की ओर परिवर्तित कर दिया। यह सम्मलेन एक टर्निंग पॉइंट के रूप में भारत के पर्यावरण को लेकर विचारों को परिवर्तित करता दिखा और इसने पर्यावरण योजना और समन्वय पर राष्ट्रीय समिति (एनसीईपीसी) का वर्ष 1972 में गठन किया। एनसीईपीसी ने पर्यावरणीय नीतियों और कानूनों के लिए नए प्रावधान पेश किए, इसने पर्यावरणीय कानूनों के नियंत्रण और संरक्षण के लिए केंद्र सरकार के शीर्ष निकाय के रूप में वर्ष 1980 में पर्यावरण विभाग, और फिर वर्ष 1985 में पर्यावरण एव वन मंत्रालय तथा वर्ष 2014 में जलवायु परिवर्तन की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का गठन किया। तब से, मंत्रालय, केन्द्र सरकार का राष्ट्रीय निकाय है, जिसे भारत की पर्यावरणीय, वन और जलवायु परिवर्तन से सम्बंधित योजनाएं बनाने एवम् नियंत्रित करने का अधिकार प्राप्त है।*

i;koj.k; ppk

पर्यावरण और मानव के परस्पर संबंधों को समझने के विज्ञान की शुरुआत, 19वीं सदी में हुई और जिसे 1866 में जर्मनी के जीव विज्ञानी हेकल ने पारिस्थितिकी का नाम दिया था। ऐसा माना गया था कि मानवता का स्थान, और कहीं नहीं बल्कि पर्यावरण के ही भीतर मौजूद है। अमेरिकी न्यायविद् जॉर्ज पार्किन्स मार्स की *'मैन एण्ड नेचर'* (1964) को पारिस्थितिकी पर लिखी गई पहली पुस्तक माना जाता है, जिसमें दिखाया गया है कि मानव गतिविधियां पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकती हैं[1]। मार्स ने अपने अनुभवजन्य अनुसंधान की बड़ी खूबसूरती से समीक्षा की और पाया की 'मनुष्य हर जगह गड़बड़ी पैदा करने वाला एजेंट है। वह जहां कहीं भी पैर

पर्यावरणीय समस्यायें एवं समाधान

सच्चिदानन्द मिश्र

I kjk'k% पर्यावरण प्रदूषण विकास की प्रतिबद्धता बनता जा रहा है। मानव जीवन का क्रमबद्ध विकास स्वच्छ एवं सन्तुलित पर्यावरण का ही प्रतिफल है। अतः इसकी सुरक्षा मानव जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। भारत में जो विकास हुआ वह पर्यावरण प्रदूषण पर आधारित रहा। बाढ़, सूखा, भूमि कटाव, भू-क्षरण, तपती धरती, ग्रीन हाउस प्रभाव, सूनामी लहरें, भूकम्प आदि पर्यावरण प्रदूषण की ही प्राकृतिक प्रतिक्रिया है। वैश्विक स्तर पर 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन 1992 में रियो डिजेनेरो में सम्पन्न भूमि सम्मेलन, 1997 में क्योटो सम्मेलन, 2002 में जोहान्सबर्ग सम्मेलन, 2005 में ग्लैंका सम्मेलन इस बात पर केन्द्रित रहा कि पर्यावरण की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाये।

प्रस्तावना

पर्यावरण एवं मनुष्य एक दूसरे से अन्योन्याश्रित रूप से सम्बन्धित हैं। पर्यावरण पर मानव विकास निर्भर करता है। मानव जीवन का क्रमबद्ध विकास स्वच्छ एवं संतुलित पर्यावरण का ही प्रतिफल है। अतः पर्यावरण की सुरक्षा मानव की सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। गाँधी जी ने कहा था कि जब व्यक्ति वृक्ष विनाश, जल सतह की समाप्ति अथवा जीवनमण्डल को दूषित करता है तो वह जलवायु सम्बन्धी परिवर्तन के विनाशक रूप को आमंत्रित करता है। गाँधी जी ने यह भी कहा था कि धरती हमारे पुरुषों को विरासत के रूप में नहीं दी है। हमारे बच्चों के लिए उधार है जिसको उन्हें सुरक्षित लौटाना हमारी जिम्मेदारी है।

स्वतंत्र भारत में जो भी विकास हुआ वह पर्यावरण प्रदूषण पर आधारित रहा। तीव्र औद्योगिक विकास, शहरीकरण एवं जनसंख्या वृद्धि के चलते वन वृक्षों की अन्धाधुन्ध कटाई होती रही। वनों को काटकर जहाँ एक ओर आबादी बसायी गयी वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में उद्योगों की स्थापना, सड़क निर्माण, रेल यातायात का विस्तार, हवाई अड्डों का निर्माण एवं विस्तार होता रहा। औद्योगीकरण के इस भोगवादी दौड़ में हम विकास के नाम पर जिस प्रकार बारूदी सुरंगों, ड्रीलिंग मशीन एवं डाइनामाइट के विस्फोटों द्वारा पहाड़ियों को चिरते-तोड़ते हुए सड़के एवं टिहरी

पर्यावरण-संरक्षण

मदन गोपाल सिन्हा

lkjk'k% *पर्यावरण का अस्वास्थ्यकर हो जाना ही पर्यावरण-प्रदूषण है। पर्यावरण-सरंक्षण आज सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो गया है। पर्यावरण का स्वच्छ होना जीव-जन्तु, जड़-चेतन, सबके लिए आवश्यक है। इसका प्रदूषित होना सबके लिए हानिकारक है। जनसंख्या-वृद्धि एवं विलासितापूर्ण जीवन-शैली के चलते पर्यावरण अत्यधिक प्रदूषित हो चुका है। जल, वायु, ध्वनि, मृदा, समुद्र इत्यादि सभी खतरनाक स्थिति तक प्रदूषित हो चुके हैं। उष्मा-प्रदूषण, नाभिकीय-प्रदूषण, वैचारिक-प्रदूषण इत्यादि भी चरम सीमा पर है। जैव-विविधता नष्ट हो रही है। 'ग्लोबल वार्मिंग' और तेजाबी बरसात से समस्या और भी भयावह हो गयी है। विकास के लिए बनाए गए बड़े-बड़े बाँध भी पर्यावरण-प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं। ओज़ोन परत क्षयग्रस्त है। भूमिगत जल भी प्रदूषित हो रहा है। वन कटते जा रहे हैं। रेगिस्तान बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोलियम पदार्थों के प्रयोग में तीव्र वृद्धि जारी है। पहाड़ कम होते जा रहे हैं। 'वर्षा जल संरक्षण' उपेक्षित है।' 'ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था' लचर है। नदियाँ, नालों में तब्दील हो गयी हैं। ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं एवं नैतिकता का ह्रासमान है। ऐसी स्थिति में सबको चिन्तित होना चाहिए। जनसंख्या को सीमित करना और 'सादा जीवन एवं उच्च विचार' के सिद्धांत को अपनाना पर्यावरण-सरंक्षण के लिए निर्विकल्प है। इसमें नियामकीय संगठनों की भूमिका भी महत्वपूर्ण साबित होगी।*

प्रस्तावना

आज पर्यावरण-प्रदूषण सोचनीय स्थिति तक पहुँच गया है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को अंगरेजी में *इकोलॉजी एण्ड एनवयारनमेण्ट* कहा जाता है। ऑक्सफोर्ड इंगलिश शब्दकोश के अनुसार, वनस्पतियों, पशु-पक्षियों, मनुष्यों तथा इनके निवास स्थानों का पारस्परिक सम्बन्ध या इनके पारस्परिक सम्बन्धों का अध्ययन इकोलॉजी है और वनस्पतियों, पशु-पक्षी तथा मनुष्यों के निवास स्थानों तथा स्थितियों-परिस्थितियों को *एनवायरनमेण्ट* की संज्ञा दी जाती है। वैसे, व्यापक अर्थ में *इकोलॉजी* और *एनवायरनमेण्ट* शब्दों का समान अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है। पारिस्थितिकी वह

पर्यावरण संरक्षण नियामक संस्था : राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एक विश्लेषण

jf'e pkgku

Ikjk'k *इस शोध कार्य में हम उस ज्वलंत विषय को उठा रहे हैं जोकि वर्तमान समय में जनता, सरकार और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी के लिए सिर दर्द है। पर्यावरण प्रदूषण समस्या विश्व के सभी सरकारों के लिए चुनौती है और अब हाल ही में पेरिस सम्मेलन में पर्यावरण को विश्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया गया है क्योंकि यह समस्या भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में अनेक तरीके से उठ रही हैं जैसे कि कहीं अचानक भूकंप, ज्वालामुखी फटना, जंगलों में आग फैलना, समुद्र का जल स्तर बढ़ना अथवा आण्विक परीक्षणों से प्रदूषण, आकाश में सैटेलाईट का कूड़ा और पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के प्रदूषण चिंताजनक स्थिति में है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों की अवहेलना राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण पर भारी पड़ रही हैं। और जनता द्वारा पर्यावरण की उपेक्षा जल की महत्ता ना समझ पाना तथा स्वच्छता के प्रति उपेक्षा भारी पड़ रही हैं। इन सभी दृष्टि से हम इस अध्ययन के माध्यम से यह बताना चाहेंगे कि राज्य सरकारों और जनता को सर्वोच्च न्यायालय में अपीले ना करके प्राधिकरण की पालना करनी चाहिए। इस दृष्टि से हम इस प्राधिकरण और सरकार के दृष्टिकोणों के समीक्षा करेंगे।*

प्रस्तावना

इक्कीसवीं शताब्दी का प्रारम्भ अनेक परिवर्तनों, दुविधाओं एवं द्वन्द्वों से प्रारंभ हुआ। 20वीं शताब्दी में जो सैद्वांतिक मान्यताएं थीं उनका खंडन किया गया और उनसे उत्पन्न विभिन्न समस्याओं को नए रूप में प्रस्तुत भी किया। राजनीतिक वैज्ञानिकों ने विभिन्न स्तरों पर सुधारने के लिए प्रेरित भी किया जैसे कि ल्यूसियन पाई, राबर्ट डहाल, हण्टिग्टन, जान ग्रिल ब्रेथ इत्यादि ने यह माना था कि राजनीतिक स्थिरता आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है और यह भी माना कि भारत जैसे विकासशील देश इसलिए धीमी गति से प्रगति कर रहे हैं वे राजनीतिक अस्थिरता

पर्यावरण संरक्षण में भारतीय नियामकों की भूमिका : एक अध्ययन

कमलेश नारायण मिश्र एवं सुधीर कुमार शुक्ल

lkjk'k *पर्यावरण की रक्षा हमारे सांस्कृतिक मूल्यों एवं परम्पराओं का ही अंग है। भारत में पर्यावरण संरक्षण की रीति नीति रही है। हमारा पर्यावरण संरक्षण का इतिहास बहुत पुराना है। भारतीय संविधान जिसे 1950 में लागू किया गया था परंतु सीधे तौर पर पर्यावरण सरंक्षण से नहीं जुड़ा था। भारत में पर्यावरण के मुख्य नियामक के रूप में वन पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय 1980 से कार्यरत् है। भारत में शीर्ष नियामक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड काम करता है। यह राज्य स्तरीय और स्थानीय नियामकों से सहयोग, समन्वय स्थापित करते हुए पर्यावरण के सभी पहलुओं पर कार्यान्वियन और नियमन का कार्य करता है। जहाँ तक पर्यावरण की अद्यतन स्थिति का प्रश्न है, वह चिंताजनक है। प्रस्तुत आलेख में भारत की पर्यावरण नियम नीति, नियामक और न्यायपालिका की सक्रियता की समीक्षा का एक प्रयास है। हमारा यह अध्ययन वर्तमान परिस्थितियों में नीति नियामकों का पुर्न प्रस्तुतीकरण, पुनरूद्वार एवं इन संस्थाओं की सीमा, सामर्थ्य एवं स्वतंत्रता बढ़ाने की आवश्यकता महसूस करता है। इसके साथ-ही-साथ सामाजिक चेतना, युवाओं की भागेदारी, नागरिक समाज की हिस्सेदारी और संबंधित विशेषज्ञों की अधिकतम भागेदारी की आवश्यकता है।*

प्रस्तावना

पर्यावरण की रक्षा हमारे सांस्कृतिक मूल्यों एवं परम्पराओं का ही अंग है। भारत में पर्यावरण संरक्षण की रीति नीति रही है। अथर्ववेद में कहा गया है कि मनुष्य का स्वर्ग यहीं पृथ्वी पर है। हमारा पर्यावरण संरक्षण का इतिहास बहुत पुराना है। हड़प्पा संस्कृति पर्यावरण से ओत-प्रोत थी तो वैदिक संस्कृति पर्यावरण संरक्षण हेतु पर्याय बनी रही। भारतीय मनीषियों ने समूची प्रकृति ही क्या सभी प्राकृतिक नियामकों को देवता स्वरूप माना। पृथ्वी के लिए हमारा भाव *''माता भूमिः पुत्रो हम पृथ्वयाः''* का रहा है। उर्जा के स्रोत सूर्य को *''सूर्यदेवो भवः''* कहकर पुकारा। जल को भी देवता

भारत में पर्यावरण संरक्षण और पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका

शीला कुमारी

lkjk'k% *पर्यावरण प्रदूषण ने वैश्विक स्तर पर भूमि, जल और वायु को प्रभावित कर मानवता के लिए बड़ी चुनौती उत्पन्न कर दी है। बढ़ता पर्यावरण प्रदूषण भारत के लिए चिंता का कारण इसलिए भी है कि 2018 में पर्यावरण के मामले में भारत की रैंकिंग विश्व के 180 देशों में 177 है। जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम के चलते पृथ्वी के घने जंगल रेगिस्तान बनते जा रहे हैं। एक तरफ नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं तो दूसरी तरफ जल दोहन से पूरे देश में जल संकट गहराता जा रहा है। भूजल का स्तर काफी नीचे जाने से भारत के कई भागों में जल के लिए समस्या उत्पन्न हो गई है। पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक प्रयास के आलोक में भारत में अनेक अधिनियम निर्मित होने के बावजूद पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। ऐसी भयावह स्थिति में पर्यावरण संरक्षण हमारी नैतिक जिम्मेवारी हो गई है। यदि ग्रामीण क्षेत्रों में* ***xkcj-xSl la;a=k*** *का अधिक उपयोग किया जाए तो इससे पर्यावरण संरक्षण में काफी सहयोग हो सकता है। इसी प्रकार* ***lkSj Åtk*** *का प्रयोग खाना पकाने तथा घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक प्रयोग में लिए जाने से* ***Åtk ladV*** *से निपटा जा सकता है। बड़े पैमाने पर बढ़ रहे पर्यावरण प्रदूषण के आलोक में देश में* ***iapk;rk*** *को पर्यावरण संरक्षण संबंधी कार्य सौंपने से बड़ा बदलाव किया जा सकता है।* ***LFkkuh; laLFkkvk*** *के माध्यम से पर्यावरण की प्रक्रिया को तेज कर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है। स्थानीय ग्रामीण या अर्द्धनगरीय क्षेत्रों में विभिन्न तरह के उद्योगों से बाहर निकलने वाले अपशिष्टों के निराकरण के लिए* ***iapk;rh jkt laLFkkvk*** *की भूमिका महत्त्वपूर्ण हो सकती है।* ***/keZxzaFkk*** *में वर्णित तथ्यों के आलोक में धरती और व्यक्ति के अटूट संबंधों की दृष्टि से पर्यावरण संरक्षण हमारी जिम्मेवारी हो गई है। ऐसी गंभीर स्थिति में संरक्षण के लिए पंचायती राज तथा स्थानीय स्वशासन से संबंधित विभिन्न संस्थाओं की भूमिका काफी कारगर हो सकती है। अतः पंचायतों को पर्यावरण विकास संबंधी कार्यों का अधिकार देना पर्यावरण संरक्षण के दिशा*

*में क्रांतिकारी कदम है। यही कारण है कि भारतीय संविधान के **73oa la'kks/ku vf/kfu;e** द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को न सिर्फ संवैधानिक दर्जा दिया गया, वरन् अनेक अधिकार भी सौंपे गए हैं। संविधान की **11oha vuqlwph** में पंचायती राज संस्थाओं को जो **29** कार्य सौंपे गए हैं, उनमें **ukS** कार्यों का सीधा संबंध पर्यावरण संरक्षण से है।*

प्रस्तावना

पर्यावरण प्रदूषण ने वैश्विक स्तर पर भूमि, वायु और जल को प्रभावित कर आज मानवता के लिए बड़ी चुनौती उत्पन्न कर दी है। 19वीं सदी में धरती का औसत तापमान लगभग 0.1 डिग्री तथा 20वीं सदी में लगभग 0.7 डिग्री से और अधिक बढ़ता जा रहा है और ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि वर्ष 2100 तक धरती के औसत तापमान में लगभग दो से छः डिग्री तक वृद्धि हो सकती है। भारत के लिए चिंताजनक तथ्य यह है कि हमारे हिस्से की धरती का तापमान 0.57 डिग्री प्रति सदी बढ़ा है और 2050 तक यह दो-तीन डिग्री तक बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति में निम्न आय वाले देशों में जलवायु परिवर्तन के चलते फसलों की क्षति, डायरिया, बाढ़ आदि से करीब 1.5 लाख मौतें प्रतिवर्ष होंगी जिनमें 85 प्रतिशत सिर्फ युवा आबादी होगी। जलवायु परिवर्तन से समुद्र का जलस्तर बढ़ने, चक्रवातों, भूमि के कटाव तथा जलस्रोतों के नष्ट होने से स्वास्थ्य के खतरे में वृद्धि होगी। आज विकास के नाम पर जिस ढंग से प्राकृतिक संपदाओं का दोहन हो रहा है, वह एक गंभीर समस्या है जिसका निदान खोजना हमारी प्रथम जिम्मेवारी बन गई है। प्रकृति ने हमें विभिन्न प्रकार की संपदाएँ उपलब्ध कराई हैं जिनका संतुलित उपयोग कर हम समृद्धि की ओर बढ़ सकते हैं, लेकिन औद्योगिक उन्नयन तथा आर्थिक विकास के चलते इनका संतुलित दोहन प्रारंभ हुआ है जिनका स्पष्ट प्रभाव पर्यावरण पर पड़ा है। बढ़ता पर्यावरण प्रदूषण विशेष रूप से भारत के लिए चिंता का कारण इसलिए है कि 2018 में पर्यावरण के मामले में भारत की रैंकिंग विश्व के 180 देशों में 177 है, जबकि 2016 में यह रैंकिंग 141 थी।[1] विश्व स्तर पर पर्यावरण के संबंध में भारत का यह गिरता स्तर हम सबके लिए चिंता का सबसे बड़ा कारण है। **i;kZoj.k ,oa iznw"k.k dk vFkZ&** पृथ्वी के चारों ओर जैव सक्रियता का वह पतला आवरण जिसे जीवमंडल ;इपवेचीमतमद्ध कहते हैं, पर्यावरण कहलाता है। मनुष्य, जल, स्थल, वन, फसल, मार्ग एवं उद्योग ये सभी जटिल पारिस्थितिकी के अंग हैं। प्रायः पर्यावरण को पारिस्थितिकी का पर्याय माना जाने लगा है। इसी तरह जब मानव की विकासात्मक क्रियाओं के चलते प्रकृति की स्वच्छता और संतुलन भंग हो जाते हैं तब इससे प्रदूषण होता है। संक्षेप में, प्रदूषण जल, वायु या भूमि के भौतिक रासायनिक और जैविक गुणों में होने वाला कोई भी अवांछनीय परिर्वतन है, जिससे मनुष्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों की हानि की संभावना हो।

मनुष्य-प्रकृति संबंध : भारतीय वन कानूनों के नजरिए से

विश्व दीपक त्रिपाठी

Ikjk'k *प्रकृति से परे मानव जीवन की कल्पना असम्भव है। मानव जीवन का उद्भव और विकास सदैव पर्यावरण पर निर्भर करता है। जिन लोगों ने इतिहास की व्याख्या लिपि के विकास से की है, तथा इसके पूर्व के काल को प्रागैतिहासिक माना है, उन्होंने मनुष्य के जीवन में पर्यावरण के महत्व को कम करके आँका है। जबकि वास्तव में मनुष्य का अस्तित्व पर्यावरण के साथ कुछ इस प्रकार गुथा हुआ है कि मानव जीवन के किसी भी काल की कल्पना उसे पर्यावरण के साथ जोड़कर ही की जानी चाहिए।*

प्रस्तावना

मनुष्य और पर्यावरण के मध्य एक अन्योन्याश्रित संबंध है, जो आदि काल से चला आ रहा है। भोजन, शिकार तथा कुछ अन्य जरूरतों के लिए मनुष्य प्रारम्भ से ही पर्यावरण पर निर्भर रहा है। मनुष्य द्वारा आग के विकास और प्रयोग के फलस्वरूप इस निर्भरता मे निःसंदेह वृद्धि हुई। कृषि का ज्ञान इस दिशा में अगला चरण था। इस प्रकार प्रारम्भिक निर्भरता से लेकर वर्तमान समय तक मानव के विकास में पर्यावरण एक अति महत्वपूर्ण अवयव रहा है।

मनुष्य और पर्यावरण के संबंध के प्रारम्भिक चरण को समझने के लिए धार्मिक उपागम ही सामान्यतः उपलब्ध स्रोत है। आधुनिकता के पूर्व मनुष्य ने मूल्य और विश्वास का आधार भी धार्मिक मान्यताओं को ही बनाया चाहे वह मूल्य मनुष्य पर्यावरण संबध के विषय में ही क्यों ना हो। अगर प्रारम्भिक धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो हम पाते हैं कि सबसे पहला और प्राचीन धार्मिक विचार मनुष्य और पर्यावरण के संबंधों से ही उपजा। पर्यावरण ने प्रारम्भिक मनुष्य को उसकी सीमित शक्ति का एहसास कराया तथा मनुष्य में निर्भर होने की भावना का जन्मदाता भी पर्यावरण ही था।[1]

पर्यावरण और विकास

महेश कुमार सिंह

lkjk'k *प्रस्तुत शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य 'पर्यावरण और विकास' का विशद् विश्लेषण प्रस्तुत करना है। पर्यावरण सम्पूर्ण मानवता के जीवन का आधार है। जीव जगत के नियामक के कारण ही पृथ्वी को जीवित जगत (Living Earth) का गौरव प्राप्त है। सौरमण्डल में केवल पृथ्वी पर ही जीवन हेतु अनुकूल परिस्थितियाँ पर्यावरण के रूप में विद्यमान है, जिस कारण वह 'वसुन्धरा' की उपमा से विभूषित है। पर्यावरण और मानव प्रकृति की गोद में उत्पन्न होकर प्रकृति से साहचर्य करके ही जीवित रहता है।*

प्रस्तावना

मानव सहित जैव जगत का अस्तित्व प्रकृति प्रदत्त पर्यावरण की ही अमूल्य देन है। मानव सृष्टि की सर्वोत्कृष्ट अनुकृति है, जो पर्यावरण के रहस्यों को सर्वाधिक आत्मसात् कर पाया है। मानव की समस्त अनुक्रियाओं का सीधा सम्बन्ध पर्यावरण से ही होता है। अतएव पर्यावरण एक ऐसा समुच्चय है, जो सृष्टि को जीवन्त बनाए हुए है। यह पेड़-पौधों एवं जीवों को जीवन प्रदान करते हुए जीवन योग्य वातावरण के साथ-साथ उनके लिए मूलभूत आवश्यकताओं को भी उपलब्ध कराता है। वर्तमान में वैज्ञानिक प्रगति, औद्योगिक उन्नति, आनुवांशिक, कृषि, उद्योग आदि की असीम उपलब्धता प्रकृति द्वारा ही सम्भव हो पायी है। यद्यपि आज विकास के मद में मदान्ध मानव प्रकृति का अप्राकृतिक दोहन कर इसके अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह् लगा दिया है। इस सन्दर्भ में महात्मा गाँधी का यह कथन समीचीन प्रतीत होता है कि ''इस पृथ्वी पर सभी की आवश्यकताओं हेतु संसाधन पर्याप्त है, किन्तु लालच के लिए नहीं''[1]।

वस्तुतः मानव और प्रकृति का एक-दूसरे से अन्यतम् सम्बन्ध है। प्रकृति की गोद में उद्भवित मानव प्रकृति में ही पल-बढ़कर, प्रकृति के तत्वों के साहचर्य से अपना अस्तित्व कायम रखते हुए अपने सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया को भी प्रकृति की गोद में ही सम्पन्न करता है। उसके चतुर्दिक भौतिक व सांस्कृतिक दशाओं का आवरण जो उसे प्रतिक्षण प्रभावित करता रहता है, पर्यावरण कहलाता है।

स्वच्छ गंगा अभियान और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण : दशा व दिशा

ऋतेश भारद्वाज

Ikjk'k% भारत में पर्यावरण संरक्षण का इतिहास बहुत प्राचीन है। भारतीय मनीषियों ने समूची प्रकृति ही क्या, सभी प्राकृतिक शक्तियों को देवता स्वरूप माना। भारतीय संस्कृति में जन को भी देवता माना गया है। सरिताओं को जीवनदायिनी कहा गया है, इसलिए प्राचीन संस्कृतियाँ नदियों के किनारे उपजीं और पनपीं। भारतीय संविधान प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण संरक्षण के प्रावधानों से नहीं जुड़ा था। सन् 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन में भारत सरकार का ध्यान पर्यावरण संरक्षण की ओर खींचा। सरकार ने 1976 में संविधान में संशोधन कर अनुच्छेद 48(ए) तथा 51(ए) (जी) जोड़े। अनुच्छेद 48(ए) के तहत भारतीय संविधान राज्य सरकारों को निर्देश देता है कि वह 'पर्यावरण की सुरक्षा व उसमें सुधार सुनिश्चित करें, तथा देश के वनों और वन्य जीवन की रक्षा करें।' अनुच्छेद 51(ए) (जी) नागरिकों से इस कर्तव्य की अपेक्षा करता है कि वे ''प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें तथा उसका संवर्द्धन करें और सभी जीवधारियों के प्रति दयालु रहें''। स्वतंत्रता के पश्चात् बढ़ते औद्योगीकरण, शहरीकरण और जनसंख्या-वृद्धि से पर्यावरण की गुणवत्ता में निरंतर कमी आती गई, जिसके चलते सरकार ने समय-समय पर अनेक कानून व नियम बनाए जैसे – रिवर बोर्ड्स ऐक्ट या अधि ानियम, 1956; जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974; पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986; वायु-प्रदूषण संबंधी कानून; वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980; वन्य-जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1995; तथा जैव-विविधता अधिनियम, 2002, इत्यादि।

प्रस्तावना

भारत में स्वतंत्रता पश्चात् कई नई संस्थाओं का तेजी से विस्तार हुआ। सरकार के नए-नए उत्तरदायित्वों और कार्यों की जटिलताओं के कारण इन संस्थाओं का गठन आवश्यक था, जिनमें सांविधानिक, सांविधिक, नियामकीय, अर्ध-न्यायिक संस्थाएँ

पर्यावरण प्रदूषण : नियंत्रण एवं उपाय

अम्बुजेश कुमार मिश्र

lkjka'k% *प्रस्तुत शोध पत्र में ''पर्यावरण प्रदूषण : नियंत्रण एवं उपाय'' का विशद् विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान समय में पर्यावरणीय विमर्श में बढ़ता हुआ प्रदूषण एक ज्वलंत समस्या के रूप में जैविक अस्तित्व पर प्रश्नचिन्ह् लगा रहा है। आधुनिकता और तकनीकी आज के वैश्विक उन्नत समाज में तीव्र गति से अभिवृद्धि हो रही है। इस समस्या से समस्त विश्व पूर्णतः अवगत भी है और चिन्तित भी। इसके कारण मानव जिस तरह के वातावरण (पर्यावरण) में रहने को विवश है वह दिन-प्रतिदिन प्रदूषित होता जा रहा है, जिसके दुष्परिणाम स्वरूप कहीं अत्यधिक गर्मी तो कहीं अत्यधिक सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। यह दुष्प्रभाव मात्र इतना ही नहीं बल्कि समस्त जीवधारियों को विविध प्रकार के रोगों से ग्रसित होना पड़ रहा है। प्रकृति और उसका पर्यावरण अपने शाश्वत स्वभाव से शुद्ध, निर्मल और समस्त जीवधारियों हेतु स्वास्थ्य का पोषक होता है किन्तु यदि किसी कारणवश वह प्रदूषित हो जाता है, तो पर्यावरणीय परिस्थिति में उपलब्ध समस्त जीवधारियों हेतु विविध प्रकार का संकट उत्पन्न करता है। मानव सभ्यता का जिस प्रकार तीव्रता से विकास हो रहा है ठीक उसी प्रकार पर्यावरण में प्रदूषण की मात्रा भी तीव्रतर होती जा रही है। इसके प्रसारण में सर्वाधिक उत्तरदायी मानव का वर्तमान क्रिया कलाप और उसकी जीवन शैली है। यहाँ यह ध्यातव्य होना चाहिए कि प्रदूषण की वृद्धि का प्रमुख कारण मानवीय अवांछनीय गतिविधियाँ है, जो प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का अतिशय विदोहन करते हुए वसुन्ध्‍ारा को कूड़े-कचरे के ढेर का स्वरूप प्रदान कर रही हैं जिससे सम्पूर्ण जल, वायु और भूमि प्रदूषित हो रही है। जिससे समस्त जीव जगत का स्वास्थ्य दुष्प्रभावित हो रहा है।*

प्रस्तावना

पर्यावरण का ज्ञान संपूर्ण समाज के लिये आधारभूत आवश्यकता है क्योंकि यह जीव जगत का नियामक है। पर्यावरण के कारण ही पृथ्वी को जीवित जगत का गौरव प्राप्त हुआ है, क्योंकि सौर परिवार में केवल पृथ्वी पर ही समस्त प्राणियों, जीवधारियों,

भारत में पर्यावरण – संरक्षण एवं नियामक संकायों की भूमिका

मीना मिश्रा

Ikjk'k% भारतीय दर्शन, मुख्यतः सांख्य दर्शन, इस व्यापक तथ्य पर आधारित है कि मानव-शरीर पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटकों ''पृथ्वी, जल, अग्नि ,वायु और आकाश'' से निर्मित है। भारतीय धर्म संस्कृति व परंपराओं में प्रकृति को विशेष महत्व दिया गया हैं। भारतीय प्राचीन ग्रन्थों ने –सदैव पुरूष व प्रकृति के समन्वय एवं ''वसुधैव कुटुबकम '' का ज्ञान दिया, जिसमें सम्पूर्ण पृथ्वी को अपना अंग व परिवार कहा गया है। पृथ्वी जो पर्यावरण का मूलाधार है, उन्हें ''माँ'' कहकर पूजा जाता है। सभी प्राकृतिक शक्तियों को भारत में देवस्वरूप मानकर पूजने की प्राचीन परंपरा है, जैसे सूर्य, चन्द्रमा, जल, वायु, पेड़-पौधे विशेषत : तुलसी, पीपल, नीम, आदि। समय के साथ-साथ यह विकास निरंतर चलता रहा, परन्तु लाभ और अधिक लाभ की भूख ने इस विकास को एक मृगमरीचिका बनाया।

आधुनिक भारत में सर्वप्रथम पर्यावरण असतुंलन ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में देखने को मिलता है। अंग्रेजी–उपनिवेशवाद की विनाशकारी दोहन नीति के कारण पर्यावरण का ह्यस आंरभ हुआ जो आजादी के पश्चात भी निरंतर चलता रहा। भारत ही नहीं, अपितु पूरे–विश्व में पर्यावरण के क्षय के लिए बढ़ती हुई जनसंख्या, गरीबी, अशिक्षा, औद्योगीकरण, त्रुटिपूर्ण पर्यावरण–नीतियाँ, जटिल न्यायिक प्रणाली आदि अनेक प्रकार के कारक उतरदायी हैं।

सांविधानिक व्यवस्था और पर्यावरण

स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ तो यद्यपि इसमें प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण को लेकर कुछ नहीं कहा गया। परन्तु भारतीय संविधान के मूल में जिस– समाजवादी राज्य की परिकल्पना की गई है, उसमें नागरिकों व समाज के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाना ही राज्य का कर्तव्य निर्धारित किया गया है। उच्च जीवन-स्तर स्वच्छ वातावरण, अर्थात प्रदूषण-रहित पर्यावरण में ही संभव है।

INDIAN INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION
NEW DELHI

INDIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION

(Quarterly: published since January 1955)
Editor: MAHENDRA PRASAD SINGH

Yearly Subscription:
Individuals: (Inland) Rs.425.00; (Abroad) $120 or £48;
Single Copy: (Inland) Rs.120.00; (Abroad) $30 or £12;
Special Number: (Inland) Rs.275.00; (Abroad) $80 or £ 36
Institution/Library: (Inland) Rs. 700.00; (Abroad) $ 240.00 or £ 96.00
Life Members of IIPA: Annual subscription: Rs.300.00; Single Copy Rs.75.00; Special Number Rs.200.00

IIPA NEWSLETTER

(Monthly recorder of national and international news of public administration and allied matters since 1956)
Editor: TISHYARAKSHIT CHATTERJEE

Yearly Subscription: India: Rs. 10.00; Abroad: $ 4.00 or £ 2.00

DOCUMENTATION IN PUBLIC ADMINISTRATION

(Quarterly: Published since 1973)
Editor: TISHYARAKSHIT CHATTERJEE, Director, lIPA, New Delhi
Assistant Editor: A.K. NATH, Dy. Librarian, lIPA, New Delhi
Yearly Subscription: India: Rs. 150.00; Abroad: $ 60.00 or £ 24.00

NAGARLOK

(Urban Affairs Quarterly: Published since 1969)
Editor: TISHYARAKSHIT CHATTERJEE, Director, lIPA, New Delhi
Assistant Editor: V.N. ALOK, Associate Professor in Urban Finance, IIPA, New Delhi
Yearly Subscription: India: Rs. 200.00.

लोक प्रशासन (अर्ध–वार्षिक)

सम्पादकः एस. एन. मिश्र

वार्षिक शुल्क : आजीवन सदस्य-रू. 150, व्यक्तिगत ग्राहक-रु. 200, संस्थागत ग्राहक-रू. 300
सामान्य अंक : आजीवन सदस्य-रू. 75, व्यक्तिगत ग्राहक-रु. 100, संस्थागत ग्राहक-रू. 150
विशेषांक : आजीवन सदस्य-रू. 100, व्यक्तिगत ग्राहक-रु. 200, संस्थागत ग्राहक-रू. 200

Bank drafts/postal orders should be drawn only in favour of "**Director, Indian Institute of Public Administration**"
Note: Subscribers are advised to secure safe delivery through Registered Post @ Rs. 100.00 per periodical.

For complete information about IIPA publications write to:

THE EDITOR
INDIAN INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION
Indraprastha Estate, Ring Road, New Delhi-110 002 (India)

Edited by S.N. Mishra and printed and published by Snehlata for Indian Institute of Public Administration, New Delhi, Ph.: 23468368 and Printed at New United Process, A-26, Naraina Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110 028.